खण्ड–34, अंक–03
बुधवार, 09 ज्येष्ठ, शक संवत्, 1934
(दिनांक 30 मई, 2012 ई0)

उत्तराखण्ड विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(तृतीय विधान सभा)
(द्वितीय सत्र, 2012)

उत्तराखण्ड विधान सभा

(खण्ड 34 में 10 अंक हैं)

उत्तराखण्ड विधान सभा, सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड (भारत)
2013

विषय–सूची

विषय	संख्या पृष्ठ
उपस्थिति	'क'
प्रश्नोत्तर	1–59
कार्य सूची में तारांकित प्रश्नों की संख्या बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	60–63
नियम–310 के अन्तर्गत दिये गये विषयों की सूचनाओं पर चर्चा कराये जाने की मांग	64–67
नियम–310 के अन्तर्गत दी गई सूचना के विषय पर चर्चा कराये जाने की मांग (कमागत)	68–70
कार्य– स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	70–71
''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 323(2) के अधीन उत्तराखण्ड़ लोक सेवा आयोग का दशम वार्षिक प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	72
''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 243–झ(4) एवं अनुच्छेद 243–म(2) के अधीन तृतीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड़ का प्रतिवेदन (2011–2016) स्पष्टीकारक ज्ञापन (सदन के पटल पर रखा गया)...	72
स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम, 1984 की धारा–8 (3) के अन्तर्गत स्थानीय निधि लेखा परीक्षा तथा सहकारी समितियां एवं पंचायतें, वित्तीय वर्ष 2010–11(भाग–1 एवं 2) का वार्षिक प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	72
कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश (स्वीकृत)	73–75
उत्तराखण्ड़ लेखा परीक्षा विधेयक, 2012 (पारित)	75–89
उत्तराखण्ड़ आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2012 (पारित)... ...	89–92
उत्तराखण्ड़ वन विकास निगम (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2012 पारित...	92–94
उत्तराखण्ड़ सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2012 (पारित) ...	95–97
नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं	97–98
नत्थी	99–100

'क'

उपस्थिति

1—श्री अजय टम्टा
2—श्री अजय भट्ट
3—डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी
4—श्रीमती अमृता रावत
5—श्री अरविन्द पाण्डे
6—श्री आदेश चौहान
7—श्रीमती इन्दिरा हृदयेश
8—श्री उमेश शर्मा (काऊ)
9—श्री गणेश गोदियाल
10—श्री गणेश जोशी
11—श्री चन्दन राम दास
12—श्री चन्द्र शेखर
13—डा0 जीत राम
14—श्री तीरथ सिंह
15—श्री दलीप सिंह रावत
16—श्री दान सिंह भण्डारी
17—श्री दिनेश अग्रवाल
18—श्री दिनेश धनै
19—श्री नवप्रभात
20—श्री नारायणराम आर्य
21—श्री पुष्कर सिंह धामी
22—श्री पूरन सिंह फर्त्याल
23—कुँवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन''
24—श्री प्रदीप बत्रा
25—श्री प्रीतम सिंह
26—श्री प्रीतम सिंह पंवार
27—श्री प्रेम चन्द अग्रवाल
28—श्री प्रेम सिंह
29—श्री बंशीधर भगत
30—श्री भीमलाल आर्य
31—श्री मदन कौशिक
32—श्री मदन सिंह बिष्ट
33—श्री मनोज तिवारी
34—श्री मयूख सिंह
35—श्री महावीर सिंह
36—श्री मंत्री प्रसाद नैथानी
37—श्री यतीश्वरानन्द
38—श्री यशपाल आर्य
39—श्री रस्सैल वैलेन्टाइन गार्डनर
40—श्री राजकुमार
41—श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी
42—श्री राजेश शुक्ला
43—श्री ललित फर्स्वाण
44—श्री विक्रम सिंह नेगी
45—श्री विजयपाल सिंह सजवाण
46—श्रीमती विजय बड़थ्वाल
47—श्री विशन सिंह चुफाल
48—श्रीमती शैला रानी रावत
49—श्री शैलेन्द्र मोहन सिंघल
50—श्री संजय गुप्ता
51—श्री सरवत करीम अंसारी
52—श्रीमती सरिता आर्य
53—श्री सहदेव सिंह पुण्डीर
54—श्री सुबोध उनियाल
55—श्री सुन्दर लाल मन्द्रवाल
56—श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
57—श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी
58—श्री सुरेन्द्र राकेश
59—श्री हरबन्स कपूर
60—श्री हरभजन सिंह चीमा
61—श्री हरिदास
62—श्री हरीश धामी
63—श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल
64—श्री हेमेश खर्कवाल

बुधवार, दिनांक 30 मई, 2012

(विधान सभा की कार्यवाही सभा–मण्डप देहरादून में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल के सभापतित्व में आरम्भ हुई)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

प्रश्नकाल

तारांकित प्रश्न

पूर्व सरकार द्वारा घोषित चार नये जिले कोटद्वार, रानीखेत, डीडीहाट एवं यमुनोत्री के गठन हेतु प्रशासनिक ढाँचे की व्यवस्था

*1–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

नेता प्रतिपक्ष (श्री अजय भट्ट)–

श्री बिशन सिंह चुफाल–

श्री दलीप सिंह रावत–

क्या राजस्व मंत्री अवगत हैं कि पूर्व तत्कालीन सरकार द्वारा घोषित चार नये जिलों कोटद्वार, यमुनोत्री, डीडीहाट एवं रानीखेत के गठन हेतु प्रशासनिक ढाँचा व्यवस्थित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों?

राजस्व, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण तथा आपदा प्रबंधन मंत्री (श्री यशपाल आर्य)–

शासनादेश दिनांक 8 दिसम्बर, 2011 द्वारा चार नये जिले कोटद्वार, यमुनोत्री, डीडीहाट एवं रानीखेत के गठन की प्राथमिक सहमति दी गयी थी। इसके उपरान्त विभिन्न स्तरों से नये जिलों के मुख्यालय, जिलों में सम्मिलित किये जाने वाले क्षेत्रों तथा जिलों की सीमाओं के निर्धारण आदि के सम्बन्ध में कई सुझाव मिले हैं। उक्त के अतिरिक्त कई स्थानों पर जिला मुख्यालय, जिलों में सम्मलित किये जाने वाले क्षेत्रों के सम्बन्ध में विवाद उठे हैं। इस दृष्टि से नये जिलों की स्वीकृति विषयक शासनदेश दिनांक 8 दिसम्बर, 2011 को अतिक्रमित करते हुये अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में '' जिला पुनर्गठन आयोग'' का गठन किया गया है। जिला पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के उपरान्त ही इस विषय पर अग्रेत्तर विचार किया जा सकेगा।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह जानना चाहती हूँ कि जिला पुनर्गठन आयोग का कब गठन किया गया? क्या इसकी संस्तुती के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है, क्योंकि एक छोटी इकाई का गठन होना है तो कब तक इसका गठन होगा और आयोग की संस्तुति कब तक आ जायेगी, जिससे जिलों का गठन हो सके?

श्री यशपाल आर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, जो समिति का गठन किया गया है, आयोग का गठन किया गया है, इसमें न्यूनतम समयावधि 6 माह की होगी।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, कब गठन किया गया है?

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, आपके द्वारा दिनांक 17.8.2011 को समिति गठित की गई थी और 8 दिसम्बर, 2011 को अतिक्रमित करते हुये 17.5.2012 को आयोग का गठन किया गया।

श्री दलीप सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी बतायें कि एक तरफ पुनर्गठन आयोग का गठन सरकार के द्वारा किया गया है और दूसरी तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी जगह–जगह जाकर तहसीलों की घोषणा करते हैं तो क्या वे अपने ही पुनर्गठन आयोग को चुनौती दे रहे हैं? मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ।

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, जो जिला पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया है, उसमें तहसीलों का कहीं उल्लेख नहीं है।

श्री दलीप सिंह रावत–

मान्यवर, जो तहसील हैं तो क्या दो जिलों में एक तहसील जा सकती है? यह मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ। अगर जिस तरह से पहले की संरचना बनी है, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह घोषणा की थी तो उस समय यही दिक्कत आई थी कि एक तहसील दो जिलों में बँट रही है, तो अब मैं पुनः यह जानना चाहता हूँ कि एक तरफ तो आप तहसीलों की घोषणा कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप जिलों के पुनर्गठन आयोग का गठन कर रहे हैं तो क्या उसमें यह दुविधा नहीं आयेगी? मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ।

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, इस विषय में आयोग निर्धारित करेगा, तय करेगा।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

माननीय अध्यक्ष जी, आयोग क्या तय करेगा, यह बता दें?

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर तहसीलों की घोषणा हो रही है और आयोग निर्धारित करेगा तो यह दो बात कैसे हो सकती है?

श्री बिशन सिंह चुफाल–

माननीय अध्यक्ष जी, जो अभी माननीय मंत्री जी ने शासनादेश का जिक्र किया है, आपके 8 दिसम्बर, 2011 के शासनादेश में स्पष्ट लिखा है कि जिलाधिकारी उत्तरकाशी, जिलाधिकारी अल्मोड़ा जिलाधिकारी पौड़ी और जिलाधिकारी पिथौरागढ़ को लिखा गया है कि विकास खण्ड के तहसील, थाने और राजस्व गाँव की सीमाओं की रिपोर्ट चारों जिलाधिकारियों व कमिश्नर के माध्यम से और राजस्व परिषद् के तत्कालीन प्रमुख सचिव, श्री पी0सी0 शर्मा की अध्यक्षता में जो बैठक हुई, उसमें सारी चीजें, जब तय कर दी गयी थीं तो आपको आयोग के गठन की क्या आवश्यकता पड़ गयी? मान्यवर, जब वर्ष 2006 में आपने तहसीलों का गठन किया तो उस समय आपने पुनर्गठन आयोग का गठन नहीं किया। आज जब जिले की बात आयी तो आप एक ओर कह रहे हैं कि तहसील और जिलों का गठन पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार किया जायेगा

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, 8 दिसम्बर, 2011 को सुगम प्रशासनिक व्यवस्था के तहत जिलों के आकार को कम करते हुए यमुनोत्री, कोटद्वार, रानीखेत और डीडीहाट जिलों के गठन के सम्बन्ध में एक शासनादेश जारी हुआ था। इसमें स्पष्ट है कि उक्त नवीन जनपदों की सीमाएं, सम्मिलित होने वाली तहसील, विकास खण्ड, राजस्व ग्राम, थाना क्षेत्र आदि का चिन्हीकरण, अगामी विध ाान सभा निर्वाचन के दृष्टिकोण से यथोचित समय पर किया जायेगा। मान्यवर, नये जिलों का गठन हेतु भू–राजस्व अधिनियम की धारा–11 में अधिसूचना आवश्यक है और शासनादेश द्वारा जो गठन सैद्धांतिक सहमति मात्र है।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, मैंने कहा कि जब वर्ष 2006 में आपके द्वारा तहसीलों का गठन किया गया था तो उस समय आपको पुनर्गठन आयोग की जरूरत नहीं पड़ी थी। जब हमारी सरकार आयी थी और आपने घोषणा की थी, हमने विधिवत् इसका गठन किया। लेकिन यहाँ पर आयोग के गठन की आवश्यकता क्यों समझी?

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, तत्कालीन सरकार द्वारा नये जिलों के गठन की स्वीकृति सैद्धांतिक तौर पर प्रदान की गयी इसके सबसे महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विचार नहीं हुआ। सीमांकन नहीं हुआ, तहसीलों ओर थाना क्षेत्रों का चिन्हींकरण नहीं हुआ। (व्यवधान)

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, ये सारी रिपोर्ट आ चुकी हैं। (व्यवधान)

श्री यशपाल आर्य—

मान्यवर, जिला मुख्यालयों का विवाद था। मान्यवर, इससे तत्कालीन सरकार की मंशा पर, निर्णय पर और नीयत पर संदेह होता है। मान्यवर, तत्समय मात्र राजनीतिक लाभ के लिए इन जिलों का गठन किया गया।

श्री अजय भट्ट—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हुँ कि इतना गम्भीर मसला माननीय सदस्य श्री दलीप सिंह जी ने उठाया है कि आप तहसीलों की बाहर घोषणाए कर रहे हैं और जब आपने पुनगर्ठन आयो गठित कर दिया है तो जो आप तहसीलों की घोषणाएं कर रहे हैं और जब आपने पुनगर्ठन आयोग गठित कर दिया है तो जो आप तहसीलों की धोषणाएं कर रहे हैं, उसका औचित्य क्या है? एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि सीमांकन नहीं हुआ है और दूसरी तरफ कह रहे हैं पिछली सरकार ने ऐसा कर दिया है, तो पहली सरकार ने जो चार जिले बनाये थे, उनका शासनादेश सरकार ने निरस्त कर दिया है। क्या यह स्पष्टतः माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सदन की आवमानना नहीं की जा रही है? क्या जो धोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सदन की आवमानना नहीं की जा रही है? क्या जो घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गयी है, सरकार उसका संज्ञान यहाँ लेगी या नहीं लेगी?

श्री यशपाल आर्य—

मान्यवर, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि नये जिलों की स्वीकृति दिनांक 8 दिसम्बर, 2011 को हुई थी। उस स्थिति को अतिक्रमित करते हुए अध्यक्ष, राजस्व परिषद् की अध्यक्षता में एक जिला पुनगर्ठन आयोग का गठन किया गया।

श्री अजय भट्ट—

मान्यवर, गठन करने के बाद आप दुबारा बाहर धोषनाएं कर रहे हैं, यह कैसे सरकार चल रही है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। माननीय सदस्य ने जो कहा था, उसका संज्ञान लेना चाहिए, सदन में कोई भी चीज क्लियर आनी चाहिए। हमें आपका संरक्षण चाहिए, हर बार ऐसा क्यों हो रहा है?

श्री यशपाल आर्य—

मान्यवर, इसलिए हो रहा है जो सैद्धांतिक सहमति आपने दी थी, उसकी अधिसूचना निश्चित रूप से जारी होनी चाहिए थी। मान्यवर, यह चुनाव की दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, उस दौरान यह धोषनाएं की गयी, जबकि इसका कोई औचित्य नहीं था। मान्यवर, इसमें कुल कितना वित्तीय भार आयेगा, राज्य की वित्तीय भार आयेगा, राज्य की वित्तीय स्थिति क्या है, इस बारे में कहीं पर भी उल्लेख नहीं है।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि दि0 08 दिसम्बर, 2011 को चार जिलों का शासनादेश जारी हुआ था। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि इन जिलों की सीमाओं आदि के निर्धारण में अनेक सुझाव मिले हैं। क्या लोगों ने यह कहा है कि ये जिले नहीं बनने चाहिए? जो भी सुझाव मिले हैं, ये किन सामाजिक संस्थाओं द्वारा दिये गये हैं या व्यक्तिगत रूप से प्राप्त हुए हैं, किसके आधार पर आपने यह निर्णय लिया हैं ? किस आधार पर आपने शासनादेश को अतिक्रमित किया है ? दूसरा प्रश्न यह है कि जो जिला पुनर्गठन आयोग आपने बनाया है, यह किन–किन बिन्दुओं पर जाँच करके अपनी आख्या देगा ? यहे दो प्रश्न मेरे हैं।

श्री यशपाल आर्य –

मान्यवर, माननीय कौशिक जी ने जो सवाल किया है कि चार जिलों के गठन के सम्बन्ध में क्या सुझाव और क्या आपत्तियाँ आयीं। मान्यवर, यह काफी लम्बा ब्यौरा है, अगर आप कहें तो मैं माननीय कौशिक जी की जिज्ञासा को शान्त कर देता हूँ।

श्री मदन कौशिक –

मान्यवर, इतना बता दीजिए कि क्या जिले बनाने का विरोध आया था या सुझाव आया था ?

श्री यशपाल आर्य –

मान्यवर, सुझाव भी हैं, शिकायत भी है और आपत्तियाँ भी हैं। (व्यवधान) माननीय नेता प्रतिपक्ष जी का मैं बहुत सम्मान करता हुँ। मान्यवर, रानीखेत जिला बनाने में माननीय विधायक सुरेन्द्र सिंह जीना जी ने भी आपत्ति की है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि यह सभी सदस्यों को लिखित में मिल जाए।

श्री यशपाल आर्य –

मान्यवर, आपने कहा है कि रानीखेत छावनी क्षेत्र होने के कारण विभिन्न कार्यालयों हेतु भूमि उपलब्ध नहीं हो सकेगी, एक आपत्ति आपने यह की है। जिले में सम्मिलित 5 ब्लॉकों और 6 तहसीलों के मध्य किसी स्थान का चयन कर जिला मुख्यालय बनाया जाय। (व्यवधान) मान्यवर, यह सारी जीना जी की आपत्तियाँ हैं। (व्यवधान) मान्यवर, इस तरह कई आपत्तियाँ आयीं। (व्यवधान) मान्यवर, तत्कालीन सरकार के मंत्रियों तक को इस बात की जानकारी नहीं थी कि इस जिले का सीमांकन क्या है, इसमें कितनी तहसीलें हैं। (व्यवधान) मान्यवर, मेरा जो पुराना विधान सभा क्षेत्र है, मुक्तेश्वर,

उससे लगा हुआ क्षेत्र माननीय नेता प्रतिपक्ष जी का है। वहाँ के लोगों को जानकारी नहीं है। माननीय मंत्रियों से जब उस समय सवाल किये जाते थे तो वे कहते थे कि हमें ही जानकारी नहीं है कि कौन सा सीमांकन कहाँ हुआ है, कौन सा क्षेत्र कहाँ जुड़ा हैं। मान्यवर, इस प्रकार बहुत सारे वाद हुए, जिनकी वजह से जिला पुनर्गठन आयोग का गठन करने के लिए बाध्य होना पड़ा।

श्री अजय भट्ट –

मान्यवर, क्या जिले के बारे में कहीं से कोई आपत्ति आई है, प्रश्न यह था। जीना जी ने तो यह बता कही है कि इसका सेंटर यहाँ पर होना चाहिए, यह बात अलग है जिला नहीं बनाया जाय, यह तो नहीं कहा था। क्या कहीं से यह प्रस्ताव आया है कि जिला नहीं बनाया जाय ? मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि क्या किसी ने यह कहा है कि रानीखेत जिला न बने ? (व्यवधान)

श्रीमती विजय बड़थ्वाल –

माननीय अध्यक्ष जी, जिस तरह से जिला पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, क्या जिला बनाने की आवश्यकता नहीं है? (व्यवधान)

श्री यशपाल आर्य –

मान्यवर, जिला पुनर्गठन आयोग का गठन इसलिए किया गया है क्योंकि जिला बनाने की प्रक्रिया में हम उन सारे मामलों को लेना चाह रहे हैं, जिनकी इस प्रक्रिया में आवश्यकता है।

श्री अजय भट्ट –

मान्यवर, प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री मदन कौशिक –

मान्यवर, प्रश्नकाल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं आता। (व्यवधान)

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, पिछली सरकार ने जब जिला बनाने की घोषणा की थी, तब मैंने अवमानना का नोटिस तत्कालीन मुख्यमंत्री को दिया था। (व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, प्रश्नकाल में व्यवस्था नहीं होती। आखिर सदन नियमों से तो चलेगा। (व्यवधान)

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, मेरी अवमानना की नोटिस पर अभी निर्णय सुरक्षित है। मैं चाहूँगा कि पीठ द्वारा मेरी अवमानना की नोटिस पर निर्णय दिया जाय। (व्यवधान)

श्री अजय टम्टा–

माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। पूरे प्रदेश की जनता जिलों और तहसीलों के निर्माण के सम्बन्ध में आन्दोलित है। (व्यवधान) तीन–तीन माननीय सदस्यों का प्रश्न है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य सदन को अव्यवस्थित कर रहे हैं और सदन नहीं चलने दे रहे हैं। (व्यवधान) हमें आपका संरक्षण चाहिए।

श्री अजय टम्टा–

माननीय अध्यक्ष जी, राज्य की जनता की बहुत अपेक्षा थी, वह बहुत उत्साहित थी कि नया प्रदेश बनेगा तो यहाँ पर छोटी–छोटी इकाईयाँ बनेंगी। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इस पर तीन–तीन विधायकों ने प्रश्न लगाये हैं।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इस पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, इसी विषय पर मेरी विशेषाधिकार की नोटिस पर पीठ ने निर्णय सुरक्षित रखा था।

श्री अध्यक्ष–

सिंघल जी, आप कृपया, अपना स्थान ग्रहण करें।

(भारतीय जनता पार्टी के कई माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े हो गये और अपनी–अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

यहाँ पर चर्चा नहीं हो रही है, कृपया अपने स्थान पर बैठे।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य श्री अजय टम्टा, श्रीमती विजय बड़थ्वाल एवं श्री दलीप सिंह रावत अपनी–अपनी बात कहते हुये 'वेल' पर आ गयो।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सिंधल जी, आप बैठ जाइये, माननीय सदस्यगण आप भी अपना स्थान ग्रहण करें, प्रश्नकाल होने दें।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, जब इस नोटिस पर जबाब नहीं आया तो यह प्रश्न कैसे लिया गया , जब कि इसी बात पर पीठ पर निर्णय सुरक्षित है।........

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी के उत्तर में मेरा नाम लिया गया कि रानी खेत को जिला बनाये जाने का मेरे द्वारा विरोध किया गया है, जब कि मैंने कोई विरोध नहीं किया है। (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, प्रश्नकाल हमारा है और सत्ता पक्ष की ओर से व्यवधान किया जा रहा है, जबकि प्रश्नकाल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपना–अपना स्थान ग्रहण करे।

('वेल' में खड़े माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर वापस चले गये।)

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य को यह सिखाइये कि सदन का क्या सिस्टम होता है।(व्यवधान) मान्यवर, मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, कल से मैं हाउस में देख रहा हूँ, यदि ऐसी ही लचर व्यवस्था चली, तो हाउस में हमारा सहयोग तो कतई नहीं मिलेगा। हमारा यहाँ पर बैठने को जो राईट है, हम उसी के अनुसार काम करेंगे। कल भी मैंने आपसे निवेदन किया था, मैं तो आपकी पीठ का बहुत सम्मान करता हूँ, आप तो भगवान हैं और वास्तव में आप विक्रमादित्य की कुर्सी भी नहीं उठाया जाता है, यह भी माननीय सदस्य को पता होना चाहिए। प्रश्न काल में किसी को भी प्रश्न करना चाहिये और माननीय मंत्री जी उसका उत्तर देंगे।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, इसी प्रश्न से संबधित है और उस पर पीठ पर निर्णय सुरक्षित है।

श्री अजय भट्‌ट–

मान्यवर, कोई भी माननीय सदस्य हो, उसे प्रश्न करना चाहिये। हम इस बात को लगातार कह रहे हैं, जब इस तरह की अव्यवस्थायें ट्रेजरी बेंज से होंगी तो आप हमसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। एक तरफ बाहर सरकार के यह बयान आते हैं कि विपक्ष सदन चलाना नहीं चाहता है। ज कि हम यहाँ पर इतना सहयोग कर रहे हैं और सत्ता पक्ष की ओर से व्यवधान किया जा रहा है। हमारा आधा समय तो सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य ने ही ले लिया, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से भी अनुरोध करूँगा। हम अपने सदस्यों से कह रहे हैं कि यथासंभव सहयोग करिये और सहयोग करना भारतीय जनता पार्टी की नीति में भी है, लेकिन जब हम सहयोग कर रहे है और सत्ता पक्ष की ओर से असहयोग हो रहा है तो यह ठीक नहीं है।...

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी के उत्तर में मेरा नाम आया है, मुझे दो मिनट का समय दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष–

माननीय भट्‌ट जी, प्रश्न का उत्तर आ गया है और मेरे द्वारा अगले प्रश्न को उठाने की अनुमति दे दी गई है। (व्यवधान)

श्री अजय टम्टा–

मान्यवर, कम से कम यह तो बता दें कि जिलों का निर्माण कब तक होगा ?

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, क्योंकि मेरा नाम आया है कि मैंने रानीखेत जिले का विरोध किया है, मैंने उसमें सुझाव दिया हे कि रानीखेत जिले का मुख्यालय भिकियासैंण में बनाया जाय।.

श्री अध्यक्ष–

माननीय जीना जी, आप स्थान ग्रहण करें, माननीय मंत्री जी ने ऐसा नहीं कहा है कि आपने विरोध किया है।

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, मैंने आपत्तियों और सुझाव की ही बात की थी।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने कहा कि सुझाव आये हैं।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से मान्यवर, छोटी सी बात है। यह महत्वपूर्ण मामला है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं खाली इतना जानना चाहता हूँ कि क्या माननीय मंत्री जी मेरे सुझाव को मानकर रानीखेत को जिला बनायेंगे ?

श्री प्रेम चन्द अग्रवाल–

मान्यवर, अगर विरोध की बात कार्यवाही में आयी हो तो इसे हटा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

हटा दिया जायेगा।

उत्तराखण्ड मे ंकर्मचारी कल्याण निगम एवं कैन्टीन की स्थापना

*2–श्री राजेश शुक्ला–

क्या खाद्य मंत्री अवगत हैं कि उत्तराखण्ड मे ंकर्मचारी कल्याण निगम की कैन्टीन स्थापित किये जाने की माँग कर्मचारियों द्वारा बार–बार की जा रही है?

क्या सरकार प्रदेश में कर्मचारी कल्याण निगम की स्थापना करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों?

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा ग्राम्य विकास मंत्री (श्री प्रीतम सिंह)–

जी हाँ।

वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

लागू नहीं।

श्री राजेश शुक्ला–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में यह कहा है कि राज्य में कर्मचारी कल्याण निगम की कैन्टीन स्थापित करने का कोई प्रश्न नहीं उठता। वर्तमान में इस तरह का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, कि माननीय मंत्री जी ने स्वयं लोक लेखा समिति के अध्यक्ष रहते हुए एक पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को, विधान सभा अध्यक्ष को लिखा है, जिसमें आपने स्वयं इसकी आवश्यकता को माना है और आपने माना है कि हमारे राज्य के साथ–साथ जो अन्य राज्यों का निर्माण हुआ, उन सब राज्यों में इस तरह के कर्मचारी कल्याण निगम की स्थापना की गयी है। यहाँ पर कर्मचारी के साथ–साथ हम सब को इसकी असुविधा झेलनी पड़ती है। इसमें सेल्स टैक्स जैसी कई चीजें मिलेंगी। आप देखते होंगे कि यहाँ इतना कबाड़ पड़ा रहता है, प्लास्टिक के गिलास

पड़े रहते हैं, अगर ठेके पर आप कैन्टीन चला रहे हैं। अगर यहाँ पर एक कर्मचारी कल्याण निगम की कैन्टीन स्थापित हो, उसकी आवश्यकता होगी। मैं चाहता हूँ कि प्रस्ताव नहीं है तो कृप्या आप आश्वासन दे दें, कि कब तक इसे करेंगे ?

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, कर्मचारी कल्याण निगम की कैन्टीन के बारे में वो पूर्ववर्ती सरकार द्वारा पहले ही खारिज किया जा चुका है और इस समय सरकार के पास कोई ऐसा प्रस्ताव विचारधीन नहीं है, इसलिए इसे खोलने का कोई औचित्य नहीं है।

श्री राजेश शुक्ला–

मान्यवर, क्या वर्तमान सरकार इस पर विचार करेगी?

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, पूर्ववर्ती सरकार द्वारा इसे खारिज किया जा चुका है।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, माननीय सदस्य अनुपूरक पूछ रहे हैं।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, उसी का तो जवाब दिया जा रहा है।

श्री राजेश शुक्ला–

मान्यवर, आपने कहा कि पुरानी सरकार ने खारिज कर दिया तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या वर्तमान सरकार इस पर विचार करेगी?

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, माननीय विधायक जी ने जो प्रश्न पूछा था, उसी के परिप्रेक्ष्य में कहा था कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा, पूर्ववर्ती सरकार से कोई आप से मतलब नहीं है। पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा यह फैसला लिया गया है कि कर्मचारी कल्याण निगम की कैन्टीन की यहाँ पर व्यवस्था नहीं की जायेगी। यह निश्चित किया जा चुका है। वर्तमान समय में सरकार का इस पर कोई विचार नहीं है।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, यदि प्रस्ताव आयेगा तो क्या सरकार उस पर विचार करेगी? यह पूछना चाहते हैं।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, माननीय विधायक जी ने जो प्रश्न पूछा है, अगर कोई प्रस्ताव आयेगा तो क्या उस पर सरकार विचार करेगी। अभी तो कोई प्रस्ताव ही नहीं है, (व्यवधान) जब आप प्रस्ताव देंगे तो देखूँगा।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, सदन में मेरी तरफ से प्रस्ताव आयेगा।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, यह प्रश्नकाल है, इसमें सदन में प्रस्ताव नहीं आता है।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन में भी तो प्रस्ताव दे सकता हूँ।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, प्रश्न में स्पष्ट है कि कर्मचारी निगम की कैन्टीन स्थापित किये जाने की माँग कर्मचारियों द्वारा बार–बार की जा रही है और आपने कहा है कि जी हाँ, तो बाकी क्या प्रस्ताव आपको चाहिए?

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैं वही कह रहा हूँ। जो प्रस्ताव आये थे, सरकार द्वारा उस पर निर्णय लिया जा चुका है। (व्यवधान)

श्री राजेश शुक्ला–

मान्यवर, क्या वर्तमान में सरकार इस पर विचार करेगी ?

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैं वही कहना चाहता हूँ, आप सुनने का भी पेशेंस रखिये। आपने जो बात कही, आशा नौटियाल जी ने भी प्रस्ताव रखा, गोपाल सिंह रावत जी ने भी प्रस्ताव रखा और अन्य कर्मचारी संगठनों ने भी प्रस्ताव रखा। जब इस व्यवस्था को निरस्त किया जा चुका है तो इस पर सरकार पुनर्विचार नहीं करेगी। सरकार इस पर कोई पुनर्विचार नहीं कर रही है। आपने कहा कि प्रस्ताव आये? तो मैंने कहा कि हाँ, आये थे। (व्यवधान) जो प्रस्ताव आये थे, उस पर सरकार निर्णय ले चुकी है। आप नया प्रस्ताव दीजिए तो हम उस पर विचार करेंगे।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, संतोषजनक जवाब नहीं आ रहा है।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, यह प्रश्न आपकी सरकार के सामने है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, हमारी सरकार के समय कोई प्रस्ताव नहीं आया है। मान्यवर, पूर्ववर्ती प्रस्ताव पर सरकार कोई विचार नहीं कर रही है।

श्री राजेश शुक्ला–

मान्यवर, अगर प्रस्ताव आयेगा तो सरकार कर्मचारी कल्याण निगम की स्थापना पर विचार करेगी?

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, प्रस्ताव आयेंगे तो उस तथ्य पर विचार करेंगे।

ऊधमसिंह नगर के वि0स0 क्षेत्र खटीमा में जनजाति/गैर जनजाति भूमि सम्बन्धी विवाद का समाधान

*3–श्री पुष्कर सिंह धामी–

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र खटीमा में जनजाति/गैर जनजाति भूमि संबंधी विवाद के कारण स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश पैदा हो रहा है? क्या भूमि संबंधी विवाद के समाधान हेतू सरकार द्वारा कोई प्रयास किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री यशपाल आर्य–

इस सम्बन्ध में सूचना प्राप्त की जा रही है।

श्री पुष्कर सिंह धामी–

मान्यवर, सदन की बहुत गरिमा हाती है, मैं पहली बार सदन में आया हूँ, हमें बहुत सारी चीजों को सीखने का अवसर मिल रहा है और बहुत सारी चीजों को देखने का अवसर मिल रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी व्यवस्था है कि सदन चलने से 15 दिन पहले प्रश्न लगाने होते हैं। इतना बड़ा रेवन्यू डिपार्टमेंट है, उसके नीचे जिलाधिकारी काम करते हैं, एस0डी0एम0 काम करते हैं, तहसीलदार काम करते हैं, चाहती हैं, आखिर या तो सरकार इस पर गम्भीरता से विचार नहीं करना चाहती है, आखिर सरकार की मंशा क्या है ? मैं कहना चाहता हूँ कि खटीमा क्षेत्र से माननीय राजस्व मंत्री जी प्रतिनिधि रह चुके हैं, वह भली–भाँति उस क्षेत्र को जानते हैं। यह बहुत ही गम्भीर विषय है। पिछले दिनों वहाँ पर बहुत बड़ी घटनायें हुई हैं, वहाँ पर जन हानि हुई हैं, धन की भी हानि हुई है, तमाम प्रकार से वहाँ पर आपसी वर्ग संघर्ष की ओर बढ़ रहा है तो कम से कम आपकी तरफ से इसको बहुत गम्भीरता से लेते हुए एक डायरेक्शन जाना चाहिए कि कितने दिनों में यह सूचना प्राप्त हो जायेगी। इसकी एक स्पेसिफिक कट–ऑफ डेट आपके माध्यम से यहाँ पर आ जाये तो बहुत अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष–

नियमावली में है कि किसी प्रश्न का उत्तर दो हफ्ते में दिया जाये, दो हफ्ते पहले यह प्रश्न आ गया था, इसलिए उसका उत्तर आ जाना चाहिए था। (मेजो की थपथपाने की ध्वनी)

श्री पुष्कर सिंह धामी–

मान्यवर, इसमें आपके सम्मुख एक तिथि आ जाये, चाहे एक महीने की हो या दो महीने की हो, वह आ जाये। (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, इसका उत्तर इसी सत्र में आ जाये।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, आपने बहुत अच्छा निर्णय दिया। आपकी इस सदाशयता के लिए पूरा सदन आपको बधाई देता है। वास्तव में यह नियम नियमावली में है कि उत्तर आना चाहिए। लेकिन जब यह सारी बात आपकी पीठ से आ गयी, अब माननीय मंत्री जी यह कह दें कि हम इसका उत्तर इसी सदन में दे देंगे, एक दिन में देंगे, दो दिन में दे देंगे, चार दिन में देंगे, इतना बड़ा अमला–जुमला राजस्व डिपार्टमेंट का है और राजस्व सचिव यहीं पर हैं।

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, इसकी सूचना एकत्र की जा रही है, इसमें समय लगेगा।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, कितना समय लगेगा?

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, इस पर सरकार गम्भीर है, हमारी कोशिश रहेगी कि न्यूनतम समय में उत्तर दे देंगे।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, नये सदस्य हैं, उन्होंने एक कट–ऑफ डेट माँगी है, बहुत अच्छी बात है। आप उनको सहयोग करिये।

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, एक महीने के अन्दर प्रश्न का उत्तर आ जायेगा।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, माननीय मंत्रीजी ने एक महीने का समय दे दिया है। क्या एक महीने तक हाउस चलेगा? यह तो तारांकित प्रश्न है, इसका उत्तर सदस्य को व्यक्तिगत तो नहीं जायेगा, यह तो हाउस की प्रापर्टी है। हाउस में इस पर चर्चा भी होगी और उस पर अनुपूरक प्रश्न पूछे जायेंगे। माननीय अध्यक्ष जी के विनिश्चय ने सरकार को आईना दिखाया है कि इसका उत्तर आ जाना चाहिए था।

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, माननीय अध्यक्ष जी, के विनिश्चय ने सरकार को आईना दिखाया। हम माननीय अध्यक्ष जी और अध्यक्ष पीठ का सम्मान करते हैं।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, वैसे माननीय मंत्री जी, और मंत्री भी हैं, सरकार है, सरकार में तो इतना दम होना चाहिए और उन्हें कहना चाहिए कि हम एक हफ्ते में उत्तर दे देंगे, बीस दिन में उत्तर दे देंगे। इस तरह के आदेश आने चाहिए।

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, सरकार में दम और खम दोनों है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, अगर दम है तो एक कट–ऑफ डेट दे दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है।

श्री पुष्कर सिंह धामी–

मान्यवर, बहुत सारे विषय ऐसे हैं जिसमें सरकार निर्णय ले रही है, यह तो लाखों–लाख लोगों से जुड़ा विषय है, इसमें आपकी तरफ से एक निश्चित समयावधि में उत्तर आ जाये। (व्यवधान)

(घोर व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, किरण मण्डल जी वाले मामले में सरकार ने 24 धण्टे भी नहीं लगाये। (कई माननीय सदस्यगण के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान) मान्यवर, यहाँ पर एक माननीय सदस्य सदन में अपना प्रश्न पूछ रहे हैं और उस प्रश्न का उत्तर माननीय मंत्री जी नहीं देना चाहते हैं और एक सदस्य बाहर से एक अर्जी लेकर जाते हैं ओर उनको इस दिनों तक गायब किया जाता है, फिर यहाँ पेश किया जाता है, इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है?

(कई माननीय सदस्यगण के एक साथ बोलने पर धोर व्यवधान)

(धोर व्यवधान के मध्य)

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, माननीय सदस्य सरासर आरोप लगा रहे हैं, इस बात का क्या सबूत है?

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि यह प्रश्नकाल का समय है, यहाँ पर अन्य विषयों को न लिया जाय, प्रश्न से सम्बन्धित विषयों को ही लिया जाय।

*4–श्री पूरण सिंह फर्त्याल–

द्वितीय सोमवार के तारां0 13 में स्थानान्तरित

प्रदेश में सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गुणात्मक सुधार व व्यवस्था

*5–श्री दान सिंह भण्डारी–

क्या खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गुणात्मक सुधार लाने एवं खाद्य वितरण की उचित व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह–

जी हाँ।

राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत गुणात्मक सुधार एवं लाभार्थियों को योजना का शत प्रतिशत लाभ पहुँचाने एवं खाद्यान्न के उठान एवं वितरण की व्यवस्था को सुनिश्चित करने हेतु राज्य, मण्डल एवं जनपद स्तर पर प्रतिमाह समीक्षा की जाती है तथा यथा आवश्यकता दूरभाष एवं वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से भी प्रभावी समीक्षा की जा रही है। राज्य के सभी खाद्य गोदामों को कम्प्यूटरीकृत किये जाने की कार्यवाही गतिमान/प्रगति पर है।

लागू नहीं है।

श्री दान सिंह भण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि नैनीताल जनपद में कितना ए0पी0एल0 और बी0पी0एल0 राशन आवंटित किया जा रहा है ?

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, जनपदवार तो प्रश्न नहीं पूछा गया है। (घोर व्यवधान)

श्री अजय टम्टा–

मान्यवर, प्रदेश की खाद्यान्न व्यवस्था को लेकर ही तो यह प्रश्न है। (घोर व्यवधान)

श्री हरबन्स कपूर–

मान्यवर, जो माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है, वह उसी जनपद से संबन्धित भी है और उसी जनपद से चुनकर आये हैं तो निश्चित रूप से जवाब प्रदेश की जनता को दिया ही जाना चाहिए और माननीय सदस्य की जो कुन्ठा है या जो वह जानकारी चाहते हैं तो माननीय सदस्य को जानकारी दी जानी चाहिए।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, सम्मानित सदस्य ने प्रश्न पूछा है, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन जो प्रश्न आपने पूछा है कि क्या खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गुणात्मक सुधार के बारे में बात की है। आपने यह नहीं कहा कि जनपदवार कितना है? (घोर व्यवधान)

श्री हरबन्स कपूर–

मान्यवर, अनुपूरक प्रश्न किस लिये होते हैं ? (घोर व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, यह अनुपूरक प्रश्न नहीं बनता है। (घोर व्यवधान)

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, अनुपूरक प्रश्न यह नहीं बनता है तो अनुपूरक प्रश्न क्या बनता है? आप ही बता दें। मान्यवर, माननीय सदस्य जनपद नैनीताल के निवासी हैं और वे जनपद नैनीताल की जानकारी चाह रहे हैं। यह अनुपूरक प्रश्न नहीं बनता है तो अनुपूरक प्रश्न बनता क्या है ? (घोर व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, आपने प्रदेश की सार्वजनिक गुणात्मक सुधार की बात कही है। मान्यवर आप बात तो सुन लें।(घोर व्यवधान) सुधार की बात बता सकता हूँ, सरकार न क्या–क्या कार्यवाही की है, वह मैं बता सकता हूँ। अगर यह पूछने लग जाय कि जिले में कितना राशन था तो यह मूल प्रश्न में नहीं है। (व्यवधान)

श्री अजय टम्टा–

मान्यवर, माननीय सदस्य नैनीताल जनपद के रहने वाले हैं और प्रदेश की गुणात्मक व्यवस्था के बारे में प्रश्न पूछा है। चूँकि माननीय सदस्य जो भी प्रश्न पूछते हैं तो माननीय मंत्री जी के संज्ञान में रहता है। (घोर व्यवधान) हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप तेरह के तेरह जनपद के बारे में बता दें। (घोर व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, राज्य में जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। मान्यवर, नैनीताल भी उत्तराखण्ड़ राज्य में आता है, नैनीताल इससे बाहर नहीं है और उसके लिए सरकार

जो कार्य करने जा रही है, उसमें निश्चित्त रूप से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि हमने टास्क फोर्स का गठन किया है? हमने सतर्कता समितियों का गठन किया है, प्रशासनिक समितियों का गठन किया है और इस प्रदेश में जो वितरण प्रणाली है, उसको कम्प्रेस करने का कार्य प्रगति पर है।

श्री अजय टम्टा–

मान्यवर, यह प्रदेश स्तर पर हे यह जिले स्तर पर है?

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, यह प्रदेश स्तर पर है, जिले स्तर पर नहीं है। जिले स्तर पर टास्क फोर्स का गठन है, टास्क फोर्स में जिलाधिकारी के माध्यम से टास्क फोर्स का गठन किया जाता है, वह कार्य करती है और सतर्कता समिति प्रदेश स्तर पर भी है और जिले स्तर पर भी है, ब्लाक स्तर पर भी है और पंचायत स्तर पर भी है। प्रशासनिक समिति भी जिला स्तर पर भी है, ब्लॉक स्तर पर भी है और पंचायत स्तर पर भी है। अगर आपने गुणात्मक सुधार की बात कही है तो गुणात्मक सुधार करने के लिए सरकार वचनबद्ध है, प्रतिबद्ध है।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी का जवाब आया है कि उठान एवं वितरण की व्यवस्था को सुनिश्चित करने हेतु राज्य, मण्डल एवं जनपद स्तर पर प्रतिमाह समीक्षा की जाती है, तो जब प्रति माह जनपद पर समीक्षा की जाती है तो माननीय मंत्री जी को बताने में क्या दिक्कत है? या तो समीक्षा नहीं कर रहे हैं, झूठा जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, वैसे तो माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, उसे हमने स्वीकार किया है इस बात को।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी का जवाब आया है कि उठान एवं वितरण की व्यवस्था को सुनिश्चित करने हेतु राज्य, मण्डल एवं जनपद स्तर पर प्रतिमाह समीक्षा की जाती है, तो जब प्रति माह जनपद स्तर पर समीक्षा की जाती है तो माननीय मंत्री जी को बताने ते क्या दिक्कत है? या तो समीक्षा नहीं कर रहे हैं, झूठा जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, वैसे तो माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, उसे हमने स्वीकार किया है इस बात को।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, आप तो कह रहे हैं कि जनपद स्तर पर दे दी नहीं सकते हैं।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे लगता है कि मैं अपनी बात को सम्मानित सदस्य को नहीं समझा पाया हूँ, मैं इसको समझाना चाह रहा हूँ। मान्यवर, माननीय सदस्य जी ने जो प्रश्न किया है, वह प्रश्न यह है कि राज्य में जो वितरण प्रणाली है, इसके गुणात्मक सुधार के लिए सरकार क्या कार्य कर रही है तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा जो कार्य किये गये हैं, उसमें पहला तो यह है कि हमने टास्क फोर्स का गठन किया है।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य श्री संजय गुप्ता जी ने अपने स्थान पर खड़े होकर पोस्टर लहराते हुये कहा कि ये ''अनुसूचित जाति का हक छीन रहे है''।) (घोर व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, आपने कहा कि खाद्यान्न के उठान एवं वितरण को जनपद, मण्डल स्तर पर सुनिश्चित करने की समीक्षा करते हैं।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुधार के लिए जो हमने काम किये हैं, वह मैं बता रहा हूँ।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, आपके जवाब में आया है कि शत प्रतिशत लाभ पहुँचाने एवं खाद्यान्न के उठान एवं वितरण की व्यवस्था को सुनिश्चित करने हेतु राज्य, मण्डल एवं जनपद स्तर पर प्रतिमाह समीक्षा की जाती है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैं यही कह रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि माननीय विधायक जी सुनना नहीं चाहते हैं। मान्यवर, मैं वही कह रहा हूँ कि प्रदेश की जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसके सुधार के लिए जो हमने काम किये हैं, उसको मैं बता रहा हूँ और उसमें हमने यह कहा है कि उस व्यवस्था को दुरूस्त करने के लिए और सुचारू रूप से चलाने के लिए जिले स्तर पर टास्क फोर्स का गठन किया है। इस टास्क फोर्स का कार्य है कि वह जिले में जो खाद्यान्न वितरण प्रणाली है, उसको सुचारू रूप से देखने का काम करे, दूसरा हमने सतर्कता समितियों का गठन किया है,जो सतर्कता समितियाँ प्रदेश के स्तर

पर हैं, ब्लॉक स्तर पर हैं और ग्राम पंचायत स्तर पर हैं और समय–समय पर उनकी बैठक होती है। मान्यवर, वे इस बात के लिए नहीं हैं कि कितना राशन आया है, यह इसके लिए हैं कि कितना राशन आया है और वह सुचारू रूप से राशन बंट रहा हैं या नहीं बंट रहा है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान) मान्यवर, प्रश्न हीं नहीं है, इस चीज का उत्तर देने के लिए मैं बाध्य नहीं हूँ। चूँकि यह प्रश्न बिल्कुल भी सप्लीमेंट्री बनता ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

माननीय अध्यक्ष जी, हम जानते हैं, सरकार जवाब देना ही नहीं चाहती है, जो उत्तर दिया जा रहा है, वह गलत दिया जा रहा है।(व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, आप प्रश्न लगाईये, सरकार जवाब देने को तैयार है।(घोर व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, आपने कहा टास्क फोर्स का गठन कर दिया, प्रतिमाह हम समीक्षा कर रहे हैं। क्या राशन प्रत्येक जिले में ठीक जा रहा है? माननीय अध्यक्ष जी, पहले आपके सदस्य स्वयं काली पट्टी बांधे बैठे हुए थे। आपके सदस्य स्वयं कह रहे हैं कि राशन चार–चार माह से नहीं जा रहा है, इसके बाद भी माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि हम समीक्षा कर रहे हैं। (घोर व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, इस तरह से प्रश्न का जवाब नहीं दिया जा सकता है। अगर पूछना है तो पर्टिकुलर प्रश्न पूछिये। (घोर व्यवधान व्यवधान)

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, एक प्रश्न के जवाब में माननीय मंत्री जी का जवाब आ गया है कि यह अनुपूरक प्रश्न आता ही नहीं है। यह तो अनुपूरक में आयेगा कि क्या आपने टास्क फोर्स के गठन की बात और सतर्कता समितियों के गठन की बात कही है? इसमें मैं यह जानना चाहता हूँ कि वे कौन सी तारीखें हैं, जिनमें इनका गठन किया गया है?

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, इनका गठन पूर्व में किया गया है।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, यह भी तो बता दें कि इनका गठन पूर्ववर्ती सरकार द्वारा किया गया। आपके द्वारा नहीं किया गया है। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, आप कैसी बात कर रहे है? (व्यवधान)

श्री बंशीधर भगत—

मान्यवर, अन्य कार्यो में तो आप पूर्ववर्ती सरकार कह देते है, इसमें भी तो पूर्ववर्ती सरकार कहें। इसमें सारा कार्य पूर्ववर्ती सरकार ने किया? आपने कुछ नहीं किया। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह—

मान्यवर, हमने कार्य किया है। (घोर व्यवधान)

श्री बंशीधर भगत—

मान्यवर, आपने कुछ कार्य नहीं किया है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है, कृपया शांत रहे। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह—

मान्यवर, हमारे माननीय सदस्य श्री बंशीधर भगत जी बहुत ही सम्मानित और जानकार साथी हैं। मैं एक आग्रह करना चाहता हूँ कि पूर्ववर्ती में हमारी सरकार भी है और आपकी सरकार भी है। पूर्ववर्ती सरकारों ने जो व्यवस्था की है, हम उसको यहाँ पर जरूर कहेंगे। आप अगर यह पूछना चाहें कि टास्क फोर्स ने क्या कार्य किया , प्रशासनिक समितियों ने क्या कार्य किया, इसकी कितनी बैठकें हुई हैं, तो इसका मैं जवाब दे सकता हूँ।

श्री हरभजन सिंह चीमा—

मान्यवर, आपने कहा टास्क फोर्स का हमने गठन किया। (घोर व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह—

मान्यवर, सरकार ही तो गठन करती है। (व्यवधान) हमसे का मतलब सरकार से है। (घोर व्यवधान)

श्री राजेश शुक्ला—

मान्यवर, माननीय सदस्य जी, जानना चाहते हैं कि आपके आने के बाद जो व्यवस्था बिगड़ गयी है, उसे सुधारने के लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किये गये? (घोर व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह—

मान्यवर, मैं माननीय चीमा जी का बहुत सम्मान करता हूँ। लेकिन जो बात कही कि हमने क्या किया। मैं बताना चाहता हूँ कि हम इसको कम्प्यूटरीकृत करने जा रहे हैं। (व्यवधान) हम कह रहे हैं टास्क फोर्स का गठन हुआ तो आप कह रहे हैं यह हमारी

सरकार द्वारा किया गया। यह व्यवस्था तो उत्तर प्रदेश से है, सतर्कता समिति की व्यवस्था भी उत्तर प्रदेश के समय से है तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि यह सब उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया आपने कुछ नहीं किया। आप पहले सुनने और समझने की कोशिश करें। आपने कहा कि इसको सुधारने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं, इसमें मैंने कहा कि टास्क फोर्स का गठन है। इसके अतिरिक्त जो नयी बात हमारी सरकार द्वारा की गयी, वह भी कहना चाहता हूँ आप इसमें भी कहना चाहेंगे कि यह सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर हो रहा है, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको कम्प्यूटरीकृत करें। मान्यवर, हमने इस प्रदेश के अंदर एक अभियान चलाया कि जो बोगस राशन कार्ड बने हैं, उनको निरस्त किया जाय। और हमने इस अभियान को चलाया और लगभग–लगभग 20 हजार बोगस कार्ड पाये गये, उनको निरस्त करने का कार्य किया जा रहा है और जिन लोगों ने बोगस राशन कोर्ड बनाने का कार्य किया है? उनके खिलाफ भी सरकार कार्यवाही करेगी।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, मिट्टी का तेल किसके कहने पर कम किया है?

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, वह भारत सरकार ने किया है। (व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल का नाम पुकारे जाने पर)

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, मिट्टी के तेल के बारे में पूछना चाहता हूँ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय चीमा जी, माननीय डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल जी के बाद पूछ लीजिएगा। (व्यवधान)

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, आप तो सत्ता में हैं। प्रश्न तो हम पूछ सकते हैं। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, यह क्या हो रहा है? पीठ का आदेश तो मानिए। माननीय अध्यक्ष जी, आप रक्षा कीजिए। चीमा साहब, आप काफी दिनों के बाद आए हैं। पीठ का आदेश तो मानिए। (व्यवधान)

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि प्रदेश के अन्दर राशन कार्ड देने की जो व्यवस्था है, उसकी समीक्षा हुई है और उसको अभी राज्य सरकार द्वारा वैरीफाई किया गया है। प्रदेश की आबादी वर्ष 2011 की जनगणना में लगभग 1 करोड़ पायी गयी है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया प्रश्न पूछिए।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, प्रश्न ही पूछ रहा हूँ। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि राशन कार्ड जो प्रदेश सरकार ने निर्गत किये हैं, उसमें कुल कितने यूनिट जारी किये गये हैं, 1 करोड़ की आबादी में कुल कितने यूनिट निर्गत किये गये हैं? दूसरा, मेरा प्रश्न है कि सरकार द्वारा इस वित्तीय वर्ष में समीक्षाओं के दौरान कितने राशन कार्ड विक्रेताओं के खिलाफ कार्यवाही की गयी है? तीसरा मेरा प्रश्न यह है कि बार–बार यह परेशानी आती है कि बोगस राशन कार्डो द्वारा राशन का वितरण हो रहा है। मैं जानना चाहूँगा कि क्या सरकार फिंगर प्रिंट आधारित मशीनों का उपयोग राशन कार्ड होल्डर्स के परिचय के लिए, उनके वैरिफिकेशन के लिए करने जा रही है?

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, उसके सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूँगा कि प्रति यूनिट 6.22 का आधार माना है।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, इसका मतलब है कि पूरे प्रदेश में 75 लाख लोगों को राशन वितरित नहीं हो रहा है।

श्री प्रीतम सिंहः–

मान्यवर, हमने एक यूनिट को 6.22 का आधार माना है। (व्यवधान) आपने बोगस राशन कार्डों के बारे में कहा, हमने इसीलिए ड्राईव चलाया था, उस ड्राईव के तहत हम लगभग 20 हजार राशन कार्ड निरस्त कर चुके हैं। आपने कहा कि जनसंख्या से अधिक राशन कार्ड बन रहे हैं, उसका कारण यह है कि बाहर से पलायित होकर लोग उत्तराखण्ड राज्य में आ रहे हैं और पहाड़ो से शहरों में भी लोगों का पलायन हो रहा है। समस्या यह है कि आदमी वहाँ पर राशन कार्ड निरस्त नहीं कराता और यहाँ पर नया राशन कार्ड बना लेता है। (व्यवधान) विधायक जी, सुनने का पेशेंस रखो। मैं यही कह रहा हूँ कि लोग पहाड़ से शहर में आते हैं और कई बार वहाँ पर राशन कार्ड निरस्त नहीं कराते और यहाँ पर नया राशन कार्ड बना लेते हैं और माफ कीजिएगा, उसमें कई बार हमारी और आप लोगों की सिफारिशों होती हैं कि इनका राशन कार्ड बना दीजिए।

श्री राजेश शुक्ला–

मान्यवर, पहले वहाँ पर निरस्त कराएं, फिर यहाँ पर बनाएं। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, प्रक्रिया यही है, जो आपने बताई। इसीलिए हमने अभियान चलाया था और उस अभियान के अन्तर्गत 20 हजार राशन कार्डों को हम अब तक निरस्त कर चुके

हैं। इसमें समय तो लगेगा अभी हमारी सरकार को बने हुए बहुत लम्बा समय नहीं हुआ है। (व्यवधान) मान्यवर, आप सुन तो लीजिए पहले।

श्री राजेश शुक्ला–

मान्यवर, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा। आपको जानकारी नहीं होगी शायद।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, जब हमको जानकारी नहीं है तो हमसे क्यों पूछ रहे हैं? (व्यवधान)

श्री राजेश शुक्ला–

मान्यवर, जो राशन विक्रेता हैं, उन्होंने बोगस राशन कोर्ड बना रखे हैं और जब–जब आप अभियान चलाते हैं तो मशीनरी भौतिक सत्यापन नहीं करती। जिस भी राशन कार्ड विक्रेता के पास चले जाईए, उसके पास बोगस राशन कार्ड हैं, इसकी वजह से इनकी संख्या बढ़ी हुई है। यह कारण है इसका।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने कहा कि मुझे जानकारी नहीं है। मैं स्वीकार करता हूँ मुझे जानकारी नहीं है। आपको मुझसे बेहतर जानकारी है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और आपको धन्यवाद भी देता हूँ।

श्री राजेश शुक्ला–

मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूँ।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैं मो पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ। आप तो बहुत जानकार हैं, आप क्षेत्र की बात कर रहे हैं। (व्यवधान) यह स्थिति हमारे सामने आयी इसीलिए हमने ड्राईव चलाया। 20 हजार राशन कार्डो को निरस्त कर चुके हैं और वह ड्राईव अभी रूका नहीं है, यह बदस्तूर जारी रहेगा। मैंने तो यह बात बताई थी और उसके बाद वे यहाँपर आकर राशन कार्ड बना रहे हैं, कहीं–कहीं तो यह भी देखने में आ रहा है कि किसी के दो–दो या तीन–तीन राशन कार्ड भी बने हुये हैं, तो उसके लिये हमारा ड्राईव चल रहा है। जहाँ तक माननीय सदस्य के राशन कार्ड के लिए कम्प्युराइज्ड करने जा रही है और कार्ड को कम्प्यूराइज्ड करने के लिए फिलहाल कोई निर्णय सरकार लेने नहीं जा रही है।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, मैं एक छोटा सा स्पष्टीकरण चाहता हूँ (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अगला प्रश्न आ गया है। (व्यवधान)

प्रदेश में ए0पी0एल0 बी0पी0एल0 कार्ड धारकों को सस्ता राशन उपलब्ध कराने हेतु अटल खाद्यान्न योजना का संचालन

*श्री चन्दन दास, श्री राजेश शुक्ला, श्री अरविन्द पाण्डे–

क्या खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार पूर्व की भाँति ए0पी0एल0 एवं बी0पी0एल0 कार्ड धारकों को अटल खाद्यान्न योजना के तहत सस्ता राशन उपलब्ध करायेगी अथवा अटल योजना को यथावत रखेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रीतम सिंह–

जी हाँ।

उपरोक्तानुसार।

लागू नहीं।

श्री चन्दन राम दास–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि अटल खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत ए0पी0एल0 और बी0पी0एल0 के चावल और गेहूँ का निर्धारित मानक कितना है और क्या इन्हें विगत तीन महीनों से जनपद स्तर पर चावल और गेहूँ मिट्टी का तेल और गैस निर्धारित मानकानुसार मिल रही है या नहीं?

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, जो बात माननीय सदस्य ने उठाई है, वह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण और गम्भीर है। जैसा कि आपने बी0पी0एल0 श्रेणी और अंत्योदय के संबंध में पूछा तो भारत सरकार से जितना भी राशन इनके लिये अनुमन्य है, उसमें कोई कमी नहीं है, उनको पूरा राशन मिल रहा है।

श्री अजय टम्टा–

मान्यवर, ए0पी0एल0 की क्या स्थिति है? (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैं पहले माननीय सदस्य के पूरे प्रश्न का उत्तर दे दूं। जो भारत सरकार से अनुमन्य है, वह बताऊँ या राज्य से जो अनुमन्य है, उसे बताऊँ। (व्यवधान)

श्री अजय टम्टा–

मान्यवर, दोनों बता दीजिये।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, ए0पी0एल0 को गेहूं 20 किलो तथा चावल 15 किलो अनुमन्य है और भारत सरकार की ओर से बी0पी0एल0 को 10 किलो 250 ग्राम गेहूँ और 24 किलो 750 ग्राम चावल अनुमन्य हैं इसी प्रकार अन्त्योदय को 10 किलो 460 ग्राम गेहूँ और 24 किलो 540 ग्राम चावल अनुमन्य है। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा अटल खाद्यान्न योजना शुरू की थी, तो उसमें भी बी0पी0एल0 और अन्त्योदय में हमें कोई परेशानी नहीं है। अटल खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत ए0पी0एल0 की व्यवस्था है कि प्रत्येक कार्ड धारक को 10 किलो गेहूँ और 10 किलो चावल दिया जायेगा। (व्यवधान) जो अटल खाद्यान्न आपने प्रारम्भ की और जो उसका शासनादेश हुआ, मैं उसी का उल्लेख कर रहा हूँ।

श्री चन्दन राम दास–

मान्यवर, मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि यह दिया जा रहा है या नही।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैं वही बता रहा हूँ कि गेहूँ की हमारे पास कोई कमी नहीं हैं, हम 10 किलो वितरित कर रहे हैं। (व्यवधान) माननीय विधायक जी, मुझे बोल लेने दीजिये, यह पोस्टर बाद में दिखा लेना। आप लोग सुनने का भी तो माद्दा रखिये,अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष हमें हिदायत दे रहे थे, तो आप लोग भी तो सुनिये।

श्री चन्दन राम दास–

मान्यवर, मैं तो सुन रहा था, मुझे बता दीजिये।

श्री प्रीतम सिंह–

हमारी आवश्यकता है, उसमें भारत सरकार के द्वारा कटौती की गई है। वर्तमान में हमें लगभग 20 हजार मीट्रिक टन की आवश्यकता है, उसमें भारत सरकार के द्वारा कटौती की गई है। वर्तमान में हमें लगभग 20 हजार मीट्रिक टन ही चावल मिल रहा है। इसलिये आज की तारीख में 1 किलो 710 ग्राम चावल ही हम दे पा रहे हैं और हम भारत सरकार से लगातार आग्रह कर रहे हैं कि हमारे चावल के कोटे में जो कटौती हुई है, उसे पुनः बहाल किया जाय। ताकि जो योजना हमारे प्रदेश में संचालित हो रही है, वह सुचारू रूप से चल सके।

श्री प्रेम चन्द अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा माननीय मंत्री जी ने अभी बताया कि ए0पी0एल0 के चावल के लिए 20 हजार मीट्रिक टन की आवश्यकता है, 3732 मीट्रिक टन आपको मिल रहा है। इसके बीच में जो डिफरेंस है, मेरा माननीय मंत्री जी से यह सवाल है, यह प्रश्न है कि क्या जो डिफरेंस है, वह स्थानीय स्तर पर राज्य सरकार अपने संसाधनों से इन राशन कार्ड होल्डर्स को देने को कोई प्रयास करेगी ?

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि जो डिफरेंस है, वह बहुत ज्यादा है। राज्य को केन्द्र सरकार से जो चावल मिल रहा है, वह 3432 मीट्रिक टन है। अगर ए0पी0एल0 को 10 किलो की दर से चावल दें तो लगभग–लगभग 20,000 मीट्रिक टन चावल की आवश्यकता होगी। इतना गैप है, राज्य सरकार के संसाधन इतने नहीं हैं। हम भारत सरकार से लगातार इ बात के लिए प्रयासरत है, भारत सरकार से लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे कोटे में जो कटौती हुई है, उसे पुनः बहाल किया जाय और मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार हमारे आग्रह हो स्वीकार करेगी।

श्री प्रेम चन्द अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें मेरा एक अनुरोध यह है कि बी0पी0एल0, जितने भी कार्ड होल्डर हैं, आज स्थिति यह है कि पूरे प्रदेश के अंदर जो ए0पी0एल0 श्रेणी के लोग हैं, उनमें अधिकांश लोग ऐसे हैं , जो वास्तव में बहुत गरीब हैं, लेकिन उनके बी0पी0एल0 कार्ड नहीं बने हैं। ऐसे जो सीमाओं के बिल्कुल नजदीक हैं ए0पी0एल0 होल्डर,तो यदि इस प्रकार का राशन उनको नहीं मिलेगा तो वास्तव में जिस प्रकार से मंहगाई आज केन्द्र सरकार की कृपा से हो रही है, इससे जनता को बहुत नुकसान होगा। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह है, मेरा अनुरोध है, प्रश्न है कि क्या इस डिफरेंस को किसी भी कीमत पर यहाँ का जो डिफरेंस है, उसे सरकार पूरा करेगी?

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, सरकार लगातार प्रयासरत है, कोशिश कर रही है, इस बात पर हम भारत सरकार से बार बार बात भी कर रहे हैं कि हमारे जो कोटे में कटौती हुई है, उसे पुनः बहाल किया जाय।

श्री राजेश शुक्ला–

मान्यवर, मै। माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आपने बताया सदन को कि भारत सरकार की ओर से कोटा कम नहीं हुआ बी0पी0एल0 और अंत्योदय में, ए0पी0एल0 की जो योजना थी, वह पूववर्ती राज्य सरकार ने जारी की थी अटल खाद्यान्न योजना के नाम से, जिसमें जैसा कि अभी हमारे माननीय सदस्य ने बताया कि वे लोग, जो बी0पी0एल0 के करीब हैं या बी0पी0एल0 जैसे हैं, लेकिन हम उनको बी0पी0एल0 कार्ड नहीं दे पा रहे हैं, किन्हीं कारणों से या मानक न होने से या कोटा न होने से, उन गरीबों के लिए यह योजना शुरू हुई थी। क्या यह योजना इस लिए बंद की जा रही है कि इसे पूर्ववर्ती सरकार ने लागू किया था, बदले की भावना से आप कर रहे हैं? क्या आपको चिंता नहीं है कि जो लोग परेशान हैं आखिर सरकार कैसे उनका पूरा करेगी, क्या सरकार इस पर विचार कर रही है? कब तक करेगी? यह हम जानना चाहते हैं।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैं सम्मानित सदस्य से कहना चाहूँगा कि हमारी कोई दुर्भावना नहीं है और यह सरकार दुर्भावना से ग्रस्त होकर कार्य नहीं करेगी, यह मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। अगर हमारी दुर्भावना होती तो शायद हम इस योजना को बंद कर देते, इसे संचालित नहीं करते, हम इसका नाम बदल देते, लेकिन हमारी ऐसी मंशा नहीं है। हम चाहते हैं कि योजना चले, लेकिन भारत सरकार ने जो कोटे में कटौती की है, उसे बहाल कराने में थोड़ा समय लगेगा। हमें उम्मीद है कि भारत सरकार जैसे ही हमारा कोटा बहाल करेगी, हम उपलब्ध कराने का काम करेंगे। राज्य सरकार के पास इतने संसाधन नहीं हैं कि जिन संसाधनों के माध्यम से इस योजना को सुचारू रूप से संचालित कर सकें।

श्री अरविन्द पाण्डे–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रश्न नहीं करना चाहता हूँ, सुझाव देना चाहता हूँ कि (व्यवधान) माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम 10 किलो गेहूँ बी0पी0एल0 को दे रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, यह हो सकता है कि यह इनका मात्र बयान–बयान है। अगर इसकी समीक्षा करा ली जाय तो मुझे नहीं लगता कि ऊधमसिंह नगर जिले में कम से कम 80 प्रतिशत स्थानों पर किसी बी0पी0एल0 को 10 किलो गेहूँ तो नहीं मिला होगा।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मुझे आप लिखित बता दीजिए, अगर गेहूँ उपलब्ध नहीं हो रहा है। मैं माननीय विधायक जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि ऐसी कोई परिस्थिति है, तो आप दीजिए। निश्चित रूप से अगर उपलब्ध नहीं हुआ है तो सरकार उपलब्ध कराने का प्रयत्न करायेगी और जिन लोगों ने उपलब्ध नहीं कराया, उनके खिलाफ कार्यवाही होगी।

श्री तीरथ सिंह–

मान्यवर, मेरा माननीय मंत्री जी से कहना है कि आपने कहा कि काफी डिफरेंस है। भारत सरकार से खाद्यान्न उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। पूर्व में भी यही स्थिति थी, बल्कि पूर्व में तो यहाँ भाजपा की और वहाँ कांग्रेस की सरकार थी। आज तो आप वहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं। इसलिए दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैं सोचता हूँ कि अपने संसाधनों से पूर्ववर्ती सरकार ने यह व्यवस्था दी थी। केन्द्र में तब भी डिफरेंस था, कटौती थी। क्या आप व्यवस्था करेंगे अपने संसाधनों के द्वारा या सरकार व्यवस्था कर पायेगी, देगी दूसरा मेरा यह कहना है कि अभी हम जगह–जगह क्षेत्र से भ्रमण करके आये, कहीं भी चावल नहीं मिल रहा है। 10 किलो जो गेहूँ कह रहे हैं, वह भी ए0पी0एल0 में कुछ जगह मिल रहा है और कई जगह यह स्थिति है कि नहीं मिल रहा है।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो बात कही कि ए0पी0एल0 में जहाँ गेहूँ नहीं मिल रहा है, तो निश्चित रूप से आप हमें इसकी जानकारी उपलब्ध करा दें तो हम इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करा देंगे कि 10 किलो चावल और गेहूँ उनको मिले। आपने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय 10 किलो चावल मिलता था, यह सही बात है। उस समय भारत सरकार ने एक लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त चावल का कोटा आवंटित किया था। पिछली सरकार पूरे एक लाख मीट्रिक टन चावल के कोटे को लिफ्ट नहीं कर पाई, लगभग–लगभग 17 हजार मीट्रिक टन के आस–पास चावल के कोटे का उठान नहीं हो पाया, जिस वजह से भारत सरकार ने इसमें कटौती की है। हम लगातार भारत सरकार से इसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरीके से आपने पूर्व में इस प्रदेश को चावल आवंटित किया है, उसी के अनुरूप इस योजना को संचालित करने के लिए चावल को आवंटित करने का काम करें, ताकि हम इस योजना को सुचारू रूप से संचालित कर सकें।

श्री चन्दन राम दास–

मान्यवर, पूरे प्रदेश में अभी तीन महीने से मिट्टी तेल एक भी बोतल नहीं मिल रहा है और गैस की भी किल्लत है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या मिट्टी तेल और गैस की व्यवस्था जल्द बहाल होगी?

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, आपने मिट्टी के तेल का जिक्र किया, सही बात आपने कही। हमें जो त्रैमासिक मिट्टी के तेल के कोटे का आवंटन होता था, वह 26712 के0एल0 होता था और इस त्रैमासिक किस्त में जो कटौती हुई है, इस बार जो मिट्टी के तेल का आवंटन 9108 के0एल0 हुआ है, इसमें लगभग 66 प्रतिशत मिट्टी के तेल के कोटे में कटौती हुई है, इसलिए इससे ये परिस्थितियाँ पैदा हुई हैं, यह स्वाभाविक बात है कि मिट्टी के तेल में इससे कमी हुई है। इस संबंध में मैं स्वयं भी भारत सरकार के पास गया था और माननीय मुख्य मंत्री जी भी गये थे और हमने भारत सरकार से आग्रह किया है कि उत्तराखण्ड राज्य की विशेष भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं। यहाँ पर 06 महीने यात्रा सीजन चलता है और हर समय यहाँ पर तीर्थाटन होता हैं। हमने भारत सरकार से आग्रह किया है कि जो मिट्टी के तेल में कटौती की है इसको पुनः बहाल किया जाये। गैस की बात आपने कही। निश्चित रूप से गैस के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि माह अप्रैल में जो गैस की माँग थी, वह 60 प्रतिशत माँग थी, इसके विपरीत 53 प्रतिशत हमको गैस उपलब्ध हो पाई। मई महीने में भी हमारी 60 प्रतिशत माँग थी, इसके सापेक्ष 53 प्रतिशत गैस हमको मिल पाई। इस समय गैस में फिर किल्लत की स्थिति है और हमें मात्र 38 प्रतिशत

गैस मिल पाई मई के महीने में। क्योंकि हड़ताल भी चल रही थी। चाहे आप मिट्टी के तेल के कोटे की बात करें, चाहे आप चावल के कोटे की बात करें और चाहे आप गैस के कोटे की बात करें, इन तीनों में ही कटौती की गई है। हम लगातार इस बात के लिए भारत सरकार से आग्रह कर रहे हैं, लगातार प्रयासरत् हैं। जब किसी चीज में कटौती हो जाती है तो उसे पुनः बहाल करने में थोड़ा समय तो लगता है।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, एक सरकार पूर्ववर्ती थी जो 10 किलो चावल और 10 किलो गेहूँ ए0पी0एल0 को दे रही थी। एक सरकार एक महीने में चेंज हुई तो उसने चावल काट दिया। जैसा कि माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि पूर्ववर्ती सरकार ने उठाया नहीं, बार–बार बाहर भी बयान दे रहे थे और अभी–अभी भी कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने कोटा नहीं उठाया। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि उस समय सरकार ने कुल कितना चावल उठाया, मेरी जानकारी में है कि 83 या 84 लाख मीट्रिक टन हमने उठाया, सेन्ट्रल गोदाम में चातल नहीं था, शेष कुछ रूक गया था, उसमें हमारा दोष नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी से कि पूर्ववर्ती सरकार को बार–बार कह रहे हैं कि नहीं उठाया तो कितना नहीं उठाया?

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैंने जो बात अभी पहले कही थी शायद माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने मेरी बात को नहीं सुना। मैंने यह कहा था कि एक लाख मीट्रिक टन का अतिरिक्त आवंटन हुआ था, जिसके सापेक्ष लगभग 17 हजार मीट्रिक टन, आपने अभी 16 हजार मीट्रिक टन कहा था, का उठान नहीं हो पाया। मैंने अभी यही बात कही थी, बात में स्वंय स्वीकार किया कि इतना लिफ्ट नहीं हो पाया है।

श्री अजय सिंह–

मान्यवर, यदि केन्द्र में ही नहीं था तो सरकार उठाती कैसे? बार–बार यह कहा जाता है कि सरकार ने नहीं उठाया कोटा नहीं है। (घोर व्यवधान) मान्यवर, यह सरकार इसमें बिल्कुल गंभीर नहीं है। सरकार द्वारा जो बी0पी0एल0 व्यक्तियों को राशन जाना चाहिए था, उसमें बिल्कुल गंभीर नहीं है इसलिए हम सदन का बहिर्गमन करते हैं। (व्यवधान के मध्य)

(भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्योंगणों ने सदन का बहिर्गमन किया।)

(भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण पुनः सदन में वापस आये।)

(कई माननीय सदस्योंगणों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

(व्यवधान के मध्य)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर आपने सदन का बहिर्गमन कर लिया, क्या उसके बाद भी मामला गम्भीर है? आपने इस प्रश्न के सारे जवाब दे दिये हैं। (व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नों का कम समाप्त हुआ। अतः प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

जिला बागेश्वर में वर्ष 2012 में अग्नि काण्ड से पीड़ितों को आर्थिक सहायता तथा आर्थिक सहायता का प्राविधान

1–श्री चन्दन राम दास–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में अग्नि काण्ड से प्रभावित पीड़ितों को सरकार द्वारा कोई आर्थिक सहायता दिये जाने का प्राविधान है?

यदि हाँ, तो मंत्री जी अवगत हैं कि बागेश्वर नगर में माह दिसम्बर, 2011 व जनवरी, 2012 में अग्निकाण्ड से प्रभावित 7 परिवारों को लाखों रूपये की क्षति हुई है?

क्या सरकार अग्निकाण्ड पीड़ितों को आर्थिक सहायता दिये जाने पर विचार करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

श्री यशपाल आर्य–

जी हाँ। भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार बसाव वाले क्षेत्रों में अग्निकाण्ड से हुई मानव क्षति, फसल व घरेलू सामान की क्षति के लिये प्रभावितों को मानकों के अनुरूप तात्कालिक राहत सहायता अनुमन्य है।

बागेश्वर नगर में माह दिसम्बर, 2011 व जनवरी, 2012 में अग्निकाण्ड से कोई क्षति नहीं हुई है, अपितु दिनांक 26 फरवरी, 2011 को कत्यूर बाजार की दुकानों में व दिनांक 11 अप्रैल, 2011 को जौसारी ग्राम दुग बाजार सरयू पुल के समीप की दुकानों में अग्निकाण्ड से क्षति हुई है।

भारत सरकार/राज्य आपदा मोचन निधि के मानकों के अनुरूप किसी भी व्यवसायिक प्रतिष्ठान को आग से हुई क्षति की स्थिति में राहत सहायता अनुमन्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

नोट–प्रश्नों का क्रम समाप्त होने से 12.07 पर प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

जनपद पिथौरागढ़ के वि0स0 क्षेत्र धारचूला में पिछले 10 वर्षों में घटी दैवी आपदा की घटनांए तथा धनावंटन व बचाव के उपाय

2—श्री हरीश धामी—

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र धारचूला में पिछले 10 वर्षों में किन—किन स्थानों में दैवी आपदा की घटनायें हुई हैं?

सरकार द्वारा उनमें क्या कार्यवाही की गयी तथा कितना धन आवंटित किया गया?

क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार द्वारा भविष्य में दैवीय आपदाओं से बचने के लिए क्या उपाय किये गये हैं?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री यशपाल आर्य—

जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ से प्राप्त सूचनानुसार विधान सभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत कई स्थानों पर प्राकृतिक आपदायें घटित हुई हैं। मुख्य रूप से लीलम, राप्ती, बोथी, बाता, लोद, सामा, गिनी, रॉथी, पांगला, गस्कू, कुरीला, गर्गुवा, छारछुम, गलांती, बुंगबुग, लुमती, बलुवाकोट, सैणरांथी, फिलम, किमखोला, दर, वल्थी, सौप, खोलती, गोल्फा, किमखेत, बसन्तकोट, दारमा, नामिक, नाचनी, बांसबगड़, माणीधामी, आलम, बुई, पातो, तोमिक, खारबगड़, खेत, खोजाखेत, कुणिया, सीपू, मार्छा, क्वीरी जीमियॉ, कालिका, डांडाधार, ग्वाल, नाग, ढुंगातोली, खेला, घड़ी, पंलखा, गुईया, नापड, सोवला, गिन्नी, बुर्फू आदि कई स्थानों पर प्राकृतिक आपदा की घटनायें घटित हुई हैं।

सरकार द्वारा आपदा से प्रभावित सभी व्यक्तियों को गृह अनुदान, अहेतुक सहायता, अनुगृह अनुदान एवं कृषि इनपुट सब्सिडी इत्यादि के अन्तर्गत अनुमन्य राहत सहायता उपलब्ध करायी गई एवं प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्य कराये गये। जिसके लिये 10 वर्षों में कुल लगभग रू0 2583.50 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी।

प्राकृतिक आपदओं से राहत व बचाव के लिए खोज एवं बचाव प्रशिक्षण एवं जन जागरूकता कार्यक्रम कराये जा रहे हैं। खोज एवं बचाव हेतु आवश्यक उपकरणों का क्रय कर तहसील एवं थानों में उपलब्ध कराया गया हैं। जनपद स्तर पर प्रत्येक जनपद हेतु आपदा प्रबन्धन योजना तैयार कर ली गई है एवं राज्य स्तर पर आपदा प्रबन्धन योजना तैयार की जा रही है। इसके अतिरिक्त जनपद स्तर में प्राकृतिक आपदाओं से सम्बन्धित सूचनाओं के आदान—प्रदान हेतु जनपदों में जिला आपताकालीन परिचालन केन्द्रों की स्थापना की गयी है, जो 24गुणा 7 की तर्ज पर कार्यरत हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी के पट्टी मवाल्स्यूं में रसोई गैस आपूर्ति की समस्या तथा ईड़ाखाल में गैस एजेन्सी खोलने का विचार

3—श्री तीरथ सिंह—

क्या खाद्य मंत्री अवगत हैं कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के पट्टी मवाल्स्यूं स्थित ग्रामों में गैस की आपूर्ति जनता को समय से नहीं हो रही है?

यदि हाँ, तो क्या विभाग ईड़ाखाल में गैस एजेन्सी खोले जाने पर विचार करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रीतम सिंह—

जनपद पौड़ी गढ़वाल के पट्टी मवाल्स्यूं स्थित ग्रामों में जनता को समय से गैस की आपूर्ति की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

वि0स0 क्षेत्र यमकेश्वर (पौड़ी) के कई गाँवों की कृषि भूमि को बाढ़ से सुरक्षा हेतु धन की स्वीकृति

4—श्रीमती विजय बड़थ्वाल—

क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि विधान सभा क्षेत्र यककेश्वर जिला पौड़ी गढ़वाल के कई गांवों की कृषि भूमि बाढ़ आने के कारण क्षतिग्रस्त हो गई है?

यदि हाँ, तो सरकार बाढ़ सुरक्षा हेतु धन स्वीकृत करेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री यशपाल आर्य—

जी हां।

विधान सभा यमकेश्वर में बाढ़ प्रभावित गांवों में वर्ष 2011—12 के जिला प्लान में 04 गांवों की बाढ़ सुरक्षा कार्य हेतु ` 37.28 लाख की सुरक्षा दीवार एवं वायर क्रेट के कार्य सम्पादित कराये गये हैं तथा 07 गांवों की बाढ़ सुरक्षा हेतु ` 69.50 लाख की योजनायें जिला प्लान वर्ष 2012—13 हेतु प्रस्तावित की गई हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देहरादून की वि0स0 मसूरी में बी0पी0एल0 कार्ड धारकों की संख्या, कार्डों का सत्यापन तथा ग्राम पंचायतवार विवरण

5–श्री गणेश जोशी–

क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के अन्तर्गत मसूरी विधान सभा क्षेत्र में कितने बी0पी0एल0 कार्ड धारक हैं?

तथा क्या कार्ड धारकों का सत्यापन किया गया है?

यदि हाँ, तो उक्त का विवरण ग्राम पंचायत वार्ड के अनुसार उपलब्ध करायेंगे?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह–

जनपद देहरादून के अन्तर्गत मसूरी विधान सभा क्षेत्र में 1612 (एक हजार छः सौ बारह) बी0पी0एल0 कार्ड धारक हैं।

जी हाँ।

ग्राम पंचायत/वार्ड के अनुसार विवरण–

क्र0सं0	ग्राम सभा का नाम	कुल सत्यापित कार्ड
1.	शेरकी	05
2.	तरलानागल	10
3.	बण्डावाली	135
4.	नागल हटनाल	175
5.	चालग	99
6.	सरोना	69
7.	नालीकला	51
8.	सिल्ला	23
9.	तिमली मानसिंह	11
10.	छमरौली	16
11.	चामासारी	70
12.	कार्लीगाड	118
13.	क्यारा	50
14.	बुरांसखण्ड	20

क्र0सं0	ग्राम सभा का नाम	कुल सत्यापित कार्ड
15.	गल्जवाडी	81
16.	भगवंतपुर	74
17.	गजियावाला	42
18.	कुठालगेट	55
19.	मालसी	103
20.	जोहड़ी	37
21.	अनारवाला	31
22.	गुमानीवाला	21
23.	रिखोली	75
24.	जैतनवाला	58
25.	कंडाली	13
26.	मिट्ठी बहडी	37
	योग ग्राम सभा	1479

शहरी क्षेत्र

क्र0सं0	वार्ड नं0	राशनकार्ड
1.	देहरादून 01	7
2.	देहरादून 02	62
3.	देहरादून 03	12
4.	देहरादून 06	01
5.	देहरादून 07	22
6.	देहरादून 08	04
7.	देहरादून 09	23
8.	मसूरी 10	01
9.	मसूरी 11	01
	योग	133
	कुल योग (शहरी+ग्रामीण)	1612

लागू नहीं।

प्रदेश सरकार द्वारा दीनदयाल आवास योजना का यथावत संचालन

6—श्री चन्दन राम दास—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में सरकार द्वारा चलायी जा रही दीन दयाल आवास योजना पूर्व की भांति यथावत् जारी रहेगी यह योजना में कोई आमूल परिवर्तन किया जायेगा?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रीतम सिंह—

दीन दयाल उत्तराखण्ड ग्रामीण आवास योजना वर्तमान में पूर्व की भांति यथावत् है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद ऊधमसिंह नगर अन्तर्गत किच्छा नदी (गौला नदी) द्वारा, पिछले वर्ष भारी वर्षा में बाढ़ से विभिन्न स्थानों में होने वाली क्षति के सम्बन्ध में कार्यवाही

7—श्री राजेश शुक्ला—

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि ऊधमसिंह नगर में तहसील किच्छा में किच्छा नदी (गोला नदी) द्वारा पिछले वर्ष भारी वर्षा में भीषण जन कटाव होने के कारण नदी के पश्चिमी तट पर किच्छा शहर एवं पूर्वी तट पर से गुजरने वाली हरिद्वार—बरेली राष्ट्रीय राज मार्ग —74 तक लालकुवां—लखनऊ रैलवे ट्रेक के कटकर बह जाने से भीषण खतरा उत्पन्न हो गया था?

क्या सरकार अवगत है कि उक्त नदी के दोनों तटों पर सैकड़ों एकड़ कृषि भूमि भी कट कर बह गयी,

यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई कार्यवाही की गयी है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री यशपाल आर्य—

जी हाँ।

जी हाँ।

जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत किच्छा तहसील में गोला नदी के दायें तट पर किच्छा शहर की बाढ़ सुरक्षा के लिए दो योजनायें क्रमशः रू0 21.54 लाख व रू0 24.83 लाख की बनाई गयी थी, किन्तु विभाग के सीमित संसाधन तथा पूर्व से निर्माणाधीन योजनायें चालू होने के कारण स्वीकृति हेतु कार्यवाही नहीं हो सकी। इसके अतिरिक्त तहसील किच्छा के अन्तर्गत गोला नदी के बायें तट पर ग्राम सतुइया की बाढ़ सुरक्षा हेतु विभाग द्वारा एक योजना लागत रू0 247.88 लाख तैयार कर ली गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

8—श्रीमती विजय बड़थ्वाल—

द्वितीय गुरूवार के अतां—44 में स्थानान्तरित।

जनपद उत्तरकाशी के वि0स0 क्षेत्र पुरोला में यमुना प्राधिकरण बनाये जाने पर विचार

9—श्री माल चन्द—

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत गंगा प्राधिकरण के अनुरूप यमुना प्राधिकरण बनाये जाने पर विचार किया जायेगा ?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री यशपाल आर्य—

जी नहीं, सिंचाई विभाग के अन्तर्गत यमुना प्राधिकरण बनाये जाने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचारधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

10—श्री दान सिंह भण्डारी—

द्वितीय सोमवार के अता0 53 में स्थानान्तरित

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत प्रदेश की विभिन्न सड़कों की भारत सरकार द्वारा वन भूमि के प्रस्ताव की सैद्धान्तिक स्वीकृति

11—श्री बिशन सिंह चुफाल—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रदेश में किन—किन सड़कों की भारत सरकार द्वारा वन भूमि के प्रस्ताव की सैद्धान्तिक स्वीकृति मिली है?

श्री प्रीतम सिंह–

योजना के आरम्भ से अब तक 304 कार्यों की वन भूमि की सैद्वान्तिक एवं विधिवत् स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हुई है। अन्य 28 कार्यों की अभी मात्र सैद्वान्तिक स्वीकृति ही प्राप्त है व विधिवत् स्वीकृति अपेक्षित है। मात्र सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त इन 28 कार्यों की सूची संलग्न है। †

जनपद ऊधमसिंह नगर अन्तर्गत खटीमा के सीमान्त मेला घाट क्षेत्र में जगबुड़ा नदी से हो रहे भू–कटाव रोकने हेतु प्रयास

12–श्री पुष्कर सिंह धामी–

क्या सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र खटीमा के सीमान्त मेला–घाट क्षेत्र जगबुड़ा नदी से लगातार हो रहे भू–कटाव को रोकने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

यदि नहीं, तो क्यों,

श्री यशपाल आर्य–

जनपद ऊधमसिंह नगर की तहसील खटीमा के अन्तर्गत ग्राम सिसैया मेलाघाट की जगबूड़ा नदी से बाढ़ सुरक्षा कार्य हेतु बी0ए0डी0पी0 के अन्तर्गत वर्ष 2010–11 में रू0 27.62 लाख के कार्य कराये जा चुके हैं एवं एक अन्य योजना लागत रू0 228.69 भी विभाग द्वारा तैयार कर ली गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद ऊधमसिं नगर अन्तर्गत खटीमा के बग्गा चौवन ग्राम को राजस्व ग्राम घोषित करने के योजना

13–श्री पुष्कर सिंह धामी–

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र खटीमा के बग्गा चौवन ग्राम को राजस्व ग्राम घोषित करने की योजना प्रस्तावित है? यदि हां, तो कब तक उक्त ग्राम को राजस्व ग्राम घोषित कर दिया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री यशपाल आर्य–

जी नहीं।

वर्तमान में इस ग्राम को राजस्व ग्राम बनाये जाने हेतु कोई सम्यक् प्रस्ताव शासन को प्राप्त नहीं हुआ है।

---

† (देखिए नत्थी 'क' पृष्ठ संख्या–99 से 100 तक)

जिला चम्पावत के वि0ख0 बाराकोट में स्थापित उप तहसील को पूर्ण तहसील का दर्जा देने पर विचार

14—श्री पूरन सिंह फर्त्याल—

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विकास खण्ड बाराकोट जिला चम्पावत में स्थापित उप तहसील को पूर्ण तहसील का दर्जा देने पर सरकार विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री यशपाल आर्य—

जी नहीं।

वर्तमान में इस तहसील के गठन हेतु सम्यक् प्रस्ताव शासन को प्राप्त नहीं हुआ है।

जनपद टिहरी अन्तर्गत थत्यूड़ व भवान बाजार की बाढ़ सुरक्षा हेतु योजना

15—श्री महावीर सिंह रांगड़—

क्या सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी के विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत थत्यूड बाजार एवं भवान बाजार की बाढ़ सुरक्षा हेतु कोई योजना प्रस्तावित है?

यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री यशपाल आर्य—

जी हां।

प्रस्तावित योजना की स्वीकृति एवं धनावंटन प्राप्त होने के उपरान्त।

प्रश्न नहीं उठता।

कार्यसूची में तारांकित प्रश्नों की संख्या बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री मदन कौशिक—

माननीय अध्यक्ष जी, यह सदन उत्तरांचल विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य—संचालन नियमावली 2005 के अन्तर्गत संचलित किया जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, इस एजेण्डे

के पूरे कार्य में पहला कार्य प्रश्न का होता है। इस निमयावली के नियम 34 एवं 35 में देखते हैं तो 35 में प्रश्नों की संख्या को परिसीमित किया जाता है कि "एक सदस्य एक दिन में केवल पांच प्रश्नों की ही सूचना दे सकेगा, जिसमें अल्पसूचित, तारांकित प्रश्न तथा अतारांकित प्रश्न सम्मिलित हैं। यदि कोई सदस्य पांच प्रश्नों से अधिक सूचना किसी दिन देता है तो उसकी प्रथम पांच सूचनायें ली जा सकेंगी और शेष सूचनायें अस्वीकृत समझी जायेंगी/मौखिक उत्तर के लिए किसी एक दिन की तारांकित प्रश्नों की सूची में तारांक लगाकर विभेद किये गये 20 से अधिक प्रश्न नहीं रखे जायेंगे।"

मान्यवर, इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि एक दिन में 20 तारांकित प्रश्न आने चाहिए। माननीय सदस्यों ने लगातार प्रश्न लगाये हैं, इसमें भी देखा जाय तो अतांराकित प्रश्नों की संख्या लगभग 20 तक है। लेकिन सरकार किस कारण से जवाब देना नहीं चाहती है? (घोर व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यगण लगभग 20 दिन पहले से प्रश्न लगाते हैं और उनको फिर विधान सभा के माध्यम से माननीय मंत्रीगणों एवं विभागों को भेजा जाता है, यदि वह उनका उत्तर नहीं देंगे तो अतांराकित में जायेंगे, अतारांकित में रहेंगे तो पूरे 20 तारांकित प्रश्न में कैसे आ पायेंगे? तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? माननीय अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण चाहते हैं, आपकी व्यवस्था चाहते हैं कि आगे से कोई भी मंत्री इस प्रकार से प्रश्न को न रोकें, इसके लिए आप उनको निर्देश दें। जो उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 2005 है, जिसके अनुसार से हाउस का संचालन होता है और आपकी कृपा से होता है, उसके अनुसार कम से कम 20 तारांकित प्रश्न आने चाहिए। इसके लिए आप निर्देश दें।

माननीय अध्यक्ष जी, आज हम देखें तो 15 अतारांकित प्रश्न आये हैं, इसका मतलब है कि सरकार पूरी तैयारी नहीं करती है। माननीय अध्यक्ष जी, इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष –

आपकी बात आ गई है, कृपया आप बैठ जायें।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, यह तारांकित और अतारांकित करना सरकार का काम नहीं है। (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, आपकी व्यवस्था चाहिए, इसको सरकार का निकम्मापन कहेंगे।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर,माननीय मंत्री जी को पूरी जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठ जायें।

श्री अजय टम्टा–

मान्यवर, यह सदन कार्य संचालन नियमावली से चलता है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री मदन कौशिक जी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, वैसे वास्तव में वह व्यवस्था का प्रश्न बनता नहीं है। जो प्रश्न आये हैं, उनको नियमावली के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है और जितने प्रश्न माननीय सदस्यों ने पूछे हैं, उसके आधार पर वर्गीकरण किया गया है, उसमें सरकार की या माननीय मंत्रियों की कहीं कोई कोताही नहीं है कि उन्होंने कही उत्तर नहीं दिया है, इसलिए प्रश्न नहीं लगाये गये हैं। जो व्यवस्था है, जो नियमावली है, उसी के आधार पर व्यवस्था की गई है, इसलिए व्यवस्थ का प्रश्न नहीं बनता है।

श्री मदन कौशिक –

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी व्यवस्था इसलिए चाहते हैं कि आप इस हाउस में बैठे हैं, इस विक्रमादित्य की कुर्सी पर बैठकर आप भी इस नियमावली से बंधे हुये हैं, प्रश्न पूछने की व्यवस्था इस हाऊस ने बनाई है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, माननीय अध्यक्ष जी की व्यवस्था के बाद यह प्रश्न न उठाया जाए तो उचित होगा।

श्री मदन कौशिक –

माननीय अध्यक्ष जी, कार्य संचालन नियमावली से हाऊस संचालित होता है। माननीय अध्यक्ष जी भी इसी से बंधे हुये हैं।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, माननीय अध्यक्ष जी को आपका निर्देश दिया जाना उचित नहीं है, कृपया पीठ का आदर करिये।

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री मदन कौशिक जी, आप इस सदन के सदस्य हैं और आप मंत्री भी रहे हैं, इसलिए जो व्यवस्था की गई है, वह नियमावली के आधार पर की गई है।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, आज प्रदेश में लॉ एण्ड आर्डर की हालत बहुत खराब हो गई है। हमारे इस सम्मानित सदन के जो संसदीय सचिव हैं, उनके घर में कल डकैती पड़ गई है, इससे बड़ा और कोई काम हो ही नहीं सकता है, कल उनके घर में डकैती पड़ गई है, उनकी पत्नी के मुख को बाँध दिया गया और उनके घर में ऊपर के कमरे में जाकर वहाँ डकैतों ने उनको लूट लिया। पूरे प्रदेश में लॉ एण्ड आर्डर की व्यवस्था खराब हो गई है और कहीं से कहीं तक आम आदमी सुरक्षित नहीं है, आम आदमी की जान–माल को खतरा है। जब इस सदन का माननीय सदस्य सुरक्षित नहीं हैं तो लॉ एण्ड आर्डर की क्या हालत हो रही होगी, इसलिए इस पर मैं चर्चा कराने की माँग करता हूँ। मान्यवर, हमारे एक पूर्व मंत्री श्री खजान दास और उनके पुत्र को कल धमकी दी गई, हरियाणा की गायिका को गोली मारी और उत्तरकाशी में एक बहन की पुलिस संरक्षण में मौत हो गई तो लॉ एण्ड आर्डर बिल्कुल चरमरा रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज सदन का सारा काम रोककर, क्योंकि पूरे सदन का मामला है, एक विधायक के घर में डकैती पड़ी है, इसलिए सारे कार्य को रोककर इस पर चर्चा प्रारम्भ की जाए, सारे माननीय सदस्य इस पर भाग लेने के लिए तैयार हैं, यह चर्चा का मामला है इस पर आप चर्चा स्वीकार करें।

नियम–310 के अन्तर्गत दिये गये विषयों की सूचनाओं पर चर्चा कराये जाने की मांग

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–310 की 3 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, उनमें से 2 सूचनाओं को मैं ग्राह्य करता हूँ, जो कि पहली सूचना है, प्रदेश में चार धाम यात्रा के व्यवस्था के सम्बंध में और दूसरी सूचना प्रदेश में कानून व्यवस्था के सम्बंध में है, इन दो को मैं नियम–58 में ग्राह्य करता हूँ और तीसरी सूचना शराब की दुकानों की अव्यवस्था के बारे में है, उसको नियम–300 में दे दें, उसे नियम–300 में ग्राह्य करते हैं।

आज नियम–300 के अन्तर्गत श्री बिशन सिंह चुफाल जी, श्री मदन कौशिक जी, श्री चन्द दास जी, श्री सुरेन्द्र सिंह जीना जी तथा कुँवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन'' की कुल पाँच सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इन सभी सूचनाओं को नियम–300 के अन्तर्गत स्वीकार कर रहा हूँ।

(माननीय अध्यक्ष जी द्वारा श्री बिशन सिंह चुफाल जी का नाम पुकारे जाने पर, कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान।)

(सदन में घोर व्यवधान होने के कारण माननीय सदस्यों द्वारा सूचनाएं उपस्थित नहीं की गयीं।)

*नेता प्रतिपक्ष (श्री अजय भट्ट)–

मान्यवर, मैं आपसे एक बार पुनः विनम् निवेदन करता हूँ कि हमारी सूचना को नियम–58 में नहीं बल्कि निमय–310 में स्वीकार करें। चूँकि ला एण्ड आर्डर का ऐसा मसला है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान) चूँकि इस सदन के माननीय सदस्य के घर में डकैती हो जाय, लूट हो जाय, इससे बड़ी शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। सारे प्रश्न आपने एनाउंस कर दिये हैं, हमने उनको सून लिया है और सारे सदस्यों ने भी सुन लिया है। उनके प्रश्न सदन में आ गये है, और उन परएक्शन भी हो जायेगा। मान्यवर, आज जो सामयिक महत्व का प्रश्न है, लॉ एण्ड आर्डर के अलावा और कोई प्रश्न नहीं है, इसको नियम–310 में स्वीकार करने की हम माँग करते हैं। (व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

नियम–58 में ग्राह्यतापर सुन रहा हँू। (घोर व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस हाऊसके माननीय सदस्य और संसदीय सचिव भी सुरक्षित नहीं हैं तो फिर इस प्रदेश में कौन सुरक्षित हो सकता है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान) मान्यवर, जब यह सदन सुरक्षित नहीं है तो कौन सुरक्षित होगा? (घोर व्यवधान)

श्री प्रेम चन्द अग्रवाल–

मान्यवर, इस सरकार के शासन काल में जब विधायक ही सुरक्षित नहीं है, तो और लोग कैसे सुरक्षित होंगे? (घोर व्यवधान)

(माननीय नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य 'वेल' में आ गये और एक साथ नारेबाजी करने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया अपने–अपने स्थान पर चले जायं।

*श्री सुबोध उनियाल–

माननीय अध्यक्ष जी, एक माननीय विधायक की पिटाई प्रेम नगर थाने में हुई थी। (घोर व्यवधान)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

मैं सदन की कार्यवाही 1.30 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

(सदन की कार्यवाही 1 बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष के समापतित्व में पुनः प्रारम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, अभी बहुत से माननीय सदस्य भोजन कर रहे हैं। हम लोग भोजन छोड़कर आए हैं, इसलिए हमारा निवेदन है कि कुछ समय दे दिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही को 3:00 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

(सदन की कार्यवाही 3:00 बजे श्री अध्यक्ष के समापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी नियम 310 की सूचना को नियम–58 में बदलने का कोई औचित्य नहीं है और इसका कारण भी है, क्योंकि एक सदन के एक माननीय सदस्य के घर में लूट की इतनी बड़ी घटना हुई है।........

(भारतीय जनता पार्टी के समस्त माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े हो गये।)

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, नियम–58 में तो जिन सदस्यों के हस्ताक्षर सूचना पर हैं, वही भाग ले सकते हैं, जबकि नियम–310 में पूरा सदन भाग ले सकता है और हर सदस्य की अपनी–अपनी समस्यायें हैं और चूँकि हर सदस्य के यहाँ लॉ एण्ड ऑर्डर की यही स्थित है। मान्यवर, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूँ कि इस सदन के एक सम्मानित सदस्य के घर में डकैती हुई है और इतने खतरनाक तरीके से यह डकैती हुई कि नकाबपोश बदमाशों ने उनकी पत्नी से कहा है कि यदि आपने हल्ला भी किया तो हम आपके बच्चों को चाकू से गोद डालेंगे। इसलिए यह कोई मामूली प्रश्न नहीं है, पूरा सदन चाहता है कि इस पर चर्चा हो, लॉ एण्ड ऑर्डर की इससे बड़ी घटना हो ही नहीं सकती है, इसलिये मेरा अनुरोध है कि नियम–310 में इस सूचना को स्वीकार करें।।

श्री अध्यक्ष–

माननीय भट्ट जी, मैंने इस सूचना को नियम–58 में ग्राह्य कर दिया है, उसमें भी चर्चा की जा सकती है।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी–अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय भट्ट जी, आप वरिष्ठ सदस्य हैं और आप जानते हैं कि नियम–58 में भी चर्चा हो सकती है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, नियम–58 में तो कन्सर्डिंग सदस्य ही भाग ले सकते हैं, जबकि नियम 310 में सारा सदन चर्चा में भाग ले सकता है। मान्यवर, यह बहुत गम्भीर मामला है, एक सम्मानित सदस्य के घर पर डकैती हुई है, एक पूर्व मंत्री को धमकियाँ दी जा रही हैं और हरिद्वार में हरियाणा की एक गायिका की गोली मार कर हत्या कर दी गई है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि सदन को व्यवस्थित करने में सहयोग करें।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारा पूरा सहयोग है, आप इस सूचना को नियम–310 में स्वीकार कर आज एक ऐतिहासिक निर्णय दे दीजिये।

(माननीय नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के समस्त माननीय सदस्य 'वेल' में आ गये और अपनी–अपनी बात कहने लगे तथा नारे लगाने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वह कृपया, अपने स्थान पर जायं, नियम–58 में भी आप लोग चर्चा में भाग ले सकते हैं। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष जी से पुनः अनुरोध करता हूँ कि वे अपने सदस्यों को अपने स्थान पर वापस जाने को कहें और सदन को व्यवस्थित करने में सहयोग प्रदान करें।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारा पूरा सहयोग है, आप इस सूचना को नियम–310 में स्वीकार कर लें।

('वेल' में खड़े माननीय सदस्य पूर्ववत् अपनी–अपनी बात कहते रहे और नारे लगाते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

निमय–58 के अन्तर्गत अन्य भी महत्वपूर्ण विषय हैं, आप लोग कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

('वेल' में खड़े माननीय सदस्य पूर्ववत् अपनी–अपनी बात कहते रहे और नारे लगाते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि नियम–58 में भी आप भाग ले सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करता हूँ, आग्रह करता हूँ। (घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मेरा पुनः आपसे निवेदन है कि यह कोई साधारण मामला नही है। यह बहुत बदला बड़ा मामला है।

श्री अध्यक्ष–

आप नियम–58 में चर्चा में भाग ले सकते हैं। निर्णय हो चुका है, उसे नहीं बदला जा सकता है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

कार्य स्थगन की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–58 के अन्तर्गत श्री महावीर सिंह रांगड़, श्री बिशन सिंह चुफाल, श्री मती विजय बड़थ्वाल, श्री दलीप सिंह रावत, श्री मदन कौशिक, श्री चन्द्रशेखर, श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, श्री चन्दन राम दास तथा श्री बंशीधर भगत की कुल 09 सूचनायें प्राप्त हुई

हैं। मैं इनमें से श्री बिशन सिंह चुफाल, श्रीमती बड़थ्वाल तथा श्री दलीप सिंह रावत की सूचनाओं को ग्राह्यता पर सुन लूँगा। शेष सूचनायें अस्वीकार हुई। इनके अतिरिक्त नियम–310 से नियम–58 में दो सूचनाएं परिवर्तित की गयी हैं, जिसमें पहली सूचना श्री मदन कौशिक, श्री अरविन्द पाण्डे, श्री बंशीधर भगत से प्राप्त चार धाम यात्रा की अधूरी तैयारी के विषय में है तथा दूसरी सूचना श्री अजय भट्ट, माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं 29 अन्य सदस्यों से प्राप्त प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति के संबंध में नियम–310 की सूचना को नियम–58 में ग्राह्यता पर सुनने के लिए अनुमति दी गई है।

(श्री अध्यक्ष द्वारा नियम–58 के अन्तर्गत स्वीकृत सूचनाओं के माननीय सदस्यों के नाम क्रमशः पुकारे गये, किन्तु कोई भी माननीय सदस्य सूचना उपस्थित करने के लिए अपने स्थान पर खड़े नहीं हुए।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय भट्ट जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने माननीय सदस्यों को आसन पर बैठाएं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, नियम–310 में चर्चा स्वीकार कर लें।

(श्री अजय भट्ट माननीय नेता प्रतिपक्ष अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी बात कहते रहे, किन्तु सदन में भारी शोरगुल के कारण कुछ भी सुना नहीं जा सका।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–300 के अन्तर्गत माननीय सदस्य श्री बिशन सिंह चुफाल, श्री मदन कौशिक , श्री चन्दन राम दास, श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, कुँवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन'' की कुल 05 सूचनायें प्राप्त हुई हैं।मैं इन सभी सूचनाओं को नियम–300 के अन्तर्गत स्वीकार कर रहा हूँ। इनके अतिरिक्त श्रीमती विजय बड़थ्वाल की नियम–310 की सूचना, जो यमकेश्वर विधान सभा क्षेत्र जिला पौड़ी गढ़वाल के विनक गाँव (पोखर खाल) में शराब की दुकान खोले जाने से उत्पन्न आन्दोलन के विषय में है, को भी नियम–300 में लिया जायेगा।

(श्री अध्यक्ष द्वारा नियम–300 के अन्तर्गत स्वीकृत सूचनाओं के माननीय सदस्यों के नाम क्रमशः पुकारे गये, किन्तु कोई भी माननीय सदस्य सूचना उपस्थित करने के लिए अपने स्थान पर खड़े नहीं हुए।)

('वेल' में मौजूद माननीय सदस्यों द्वारा 'वेल' में पर्चे उछाले गये।)

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 323(2) के अधीन उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग का दशम वार्षिक प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 323(2) के अधीन उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के दशम वार्षिक प्रतिवेदन (दिनांक 1 अप्रैल, 2010 से 31 मार्च, 2011 तक) को सदन के पटल पर रखती हूँ।

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 243–झ(4) एवं अनुच्छेद 243–म (2) के अधीन तृतीय राज्य वित्त आयोग उत्तराखण्ड का प्रतिवेदन (2011–2016) स्पष्टीकरण

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 243–झ(4) एवं अनुच्छेद 243–5(2) के अधीन तृतीय राज्य वित्त आयोग उत्तराखण्ड का प्रतिवेदन (2011–2016 एवं स्पष्टीकरण ज्ञापन सदन के पटल पर रखती हूँ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम, 1984 को धारा–8(3) के अन्तर्गत स्थानीय निधि लेखा परीक्षा तथा सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, वित्तीय वर्ष 2010–2011 (भाग–1 एवं 2) का वार्षिक लेखा प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश) –

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम, 1984 की धारा 8(3) के अन्तर्गत स्थानीय निधि लेखा परीक्षा तथा सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, वित्तीय वर्ष 2010–11 (भाग–1 एवं 2) का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखती हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश

श्री अध्यक्ष–

कार्य/मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 29–05–2012 की बैठक दिनांक 30 मई, 2012 से दिनांक 01 जून, 2012 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की हैः–

मई, 2012

30 बुधवार 1 औपचारिक कार्य।

2 विधायी कार्यः–

(1) उत्तराखण्ड लेखा परीक्षा विधेयक, 2012 विचार एवं पारण।(30 मिनट)

(2) उत्तराखण्ड आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2012 विचार एवं पारण। (30 मिनट)

(3) उत्तराखण्ड वन विकास निगम (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2012 विचार एवं पारण। (30 मिनट)

(4) उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2012 विचार एवं पारण। (30 मिनट)

31 गुरूवार 1 औपचारिक कार्य।

2 वित्त मंत्री द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–2013 का बजट प्रस्तुतीकरण (अपराह्न 4.00 बजे)

जून, 2012

01 शुक्रवार 1 औपचारिक कार्य।

2 बजट पर सामान्य चर्चा।

3 असरकारी कार्यः–

निम्नलिखित संकल्पों का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चाः–

श्री बिशन सिंह चुफाल–

"यह सदन संस्तुति करता है कि प्रदेश में अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे जनपदों में स्थानीय लोगों के पलायन को रोकने तथा स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध किये जाने के लिए अलग से सीमान्त क्षेत्र विकास योजनाएं बनाई जायं।"

(30 मिनट)

श्री मदन कौशिक–

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में स्थापित की जाय।" (30 मिनट)

श्री नवप्रभात–

"यह सदन उत्तराखण्ड में गंगा तथा उसकी सहायक नदियों की पवित्रता एवं अविरलता बनाये रखने का संकल्प लेता है;

यह सदन उत्तराखण्ड में सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पावन नदियों के क्षेत्रीय पारिस्थितिकीय संतुलन को बनाये रखते हुए राज्य के संसाधनों के विकास के लिए प्रतिबद्धता प्रकट करता है;

यह सदन अनुभव करता है कि राज्य में बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण राज्य की ऊर्जा आवश्यकता के साथ–साथ सुदूर क्षेत्रों में अवस्थापना विकास, रोजगार सृजन, सामाजिक उत्थान, आर्थिक प्रगति एवं स्थानीय निवासियों को बेहतर जीवन–यापन का अवसर प्रदान करने के लिए आवश्यक है।

इस सदन का सुनिश्यित मत है कि प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में प्रदूषण नियंत्रण, पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण के लिए आवश्यक सभी निर्देशों एवं मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।" (30 मिनट)

(घोर व्यवधान के मध्य)

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, में प्रस्ताव करती हूँ कि कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष जी ने सदन को दी है, उससे यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

(नेता प्रतिपक्ष श्री अजय भट्ट को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य 'वेल' में पूर्ववत् नारे लगाते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड लेखा परीक्षा विधेयक, 2012

संसदीय कार्य मंत्री (इन्दिरा हृदयेश)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तराखण्ड लेखा परीक्षा विधेयक,2012 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड लेखा परीक्षा विधेयक, 2012 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2 से खण्ड–21 तक, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तराखण्ड लेखा परीक्षा विधेयक, 2012

(उत्तराखण्ड विधेयक संख्या वर्ष 2012)

उत्तराखण्ड राज्य में सभी सरकारी विभागों, सार्वजनिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, प्रतिष्ठानों, साविधिक प्राधिकरणों, पंचायती राज संस्थाओं, नगरपालिकाओं/नगरीय स्थानीय निकायों, सरकारी समितियों की लेखा परीक्षा की व्यवस्था करने और उसको विनियमित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड लेखा परीक्षा अधिनियम,2012 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत होगा, जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे।

परिभाषाएं

2. इस अधिनियम में,–

(क) ''लेखा परीक्षा'' के अन्तर्गत समवर्ती लेखा परीक्षा, टैस्ट आडिट, शत प्रतिशत लेखा परीक्षा और विशेष लेखा परीक्षा और विशेष लेखा परीक्षा तथा धारा 3 के अधीन नियुक्त अधिकारियों द्वारा लेखा का निरीक्षण सम्मिलित है;

(ख) ''निदेशक'' से धारा 3 के अधीन नियुक्त निदेशक, लेखा परीक्षा (स्थानीय निधि लेखा परीक्षा तथा सहकारिता/पंचायत लेखा परीक्षा को सम्मिलित करते हुए) उत्तराखण्ड अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत ऐसा अधिकारी भी है, जिसे उक्त ध ारा की उपधारा (4) के अधीन निदेशक की शक्तियां प्रदत्त की गयी हो;

(ग) ''लेखा परीक्षा'' के अन्तर्गत उसकी सहायता के लिये धारा 3 के अधीन नियुक्त निदेशक और समस्त अन्य अधिकारी भी है;

(घ) ''स्थानीय प्राधिकारी'' से नगरपालिका या नगर निगम, नोटीफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी, जिला परिषद, क्षेत्र समिति, गांव सभा या ऐसा कोई अन्य प्राधिकारी अभिप्रेत है, जिसे स्वायत शासन या ग्राम प्रशासन के प्रयोजनार्थ गठित किया गया हो या जो नगर पालिका या स्थानीय निधि का नियंत्रण या प्रबन्ध करने के लिये विधिमान्य रूप से हकदार हो या जिसे राज्य सरकार द्वारा ऐसा काय्र सौंपा गया हो और इसके अन्तर्गत निगमित या गैर–निगमित कोई सोसाइटी, निकाय या संस्था भी है, जिसे इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा, सामान्य या विशेष आदेश से स्थानीय प्राधिकारी सूचित किया गया हो

(ड.) ''विशेष लेखा परीक्षा'' से किसी विनिर्दिष्ट अवधि के ऐसे लेखा या किसी विनिर्दिष्ट लेखा मद या मदों की श्रेणियों की, जिसमें सर्वगीण जांच की आवश्यकता है, परीक्षा अभिप्रेत है, जो राज्य सरकार के आदेश से या विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष/ आहरण एवं वितरण अधिकारी (स्थानीय निकाय/सहकारिता/पंचायत लेखा परीक्षा को सम्मिलित करते हुए) के अनुरोध पर की जाए;

(च) ''सांकेत लेखा परीक्षा'' से प्रतिवर्ष लेखा की सामान्य समीक्षा सहित ऐसी लेखा परीक्षा अभिप्रेत है, जो वर्ष के किसी एक या अधिक मास के, जिसका चयन लेखा दल द्वारा अतर्कित रूप से किया जाये;

(छ) ''संवर्ती लेखा परीक्षा'' से समय–समय पर दिन प्रतिदिन के लेखा के कार्योत्तर लेखा परीक्षा और लेखा की सामान्य समीक्षा अभिप्रेत है;

(ज) ''शत प्रतिशत लेखा की परीक्षा'' से किसी विनिर्दिष्ट अवधि के विशिष्ट लेखा के समस्त संव्यवहारों की कार्योत्तर लेखा परीक्षा अभिप्रेत है;

(झ) ''विहित प्राधिकारी'' से किसी स्थानीय प्राधिकारी के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त, अधिसूचना द्वारा, नियुक्त कोई अधिकारी या निगमित निकाय अभिप्रेत है;

(ञ) ''स्थानीय निधि'' से वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–दो, भाग दो से चार और खण्ड–पांच, भाग–एक में परिभाषित स्थानीय निधि अभिप्रेत है;

(ट) ''अभियाचन'' से स्थानीय प्राधिकारी की लेखा परीक्षा और या उसके निरीक्षण के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 3 में उल्लिखित/अधिकृत अधिकारियों द्वारा स्पष्टीकरण/सूचना अभिलेख मांगे जाने के लिये निर्गत किये गये पत्र अभिप्रेत है;

(ठ) ''धारा'' से अधिनियम की कोई धारा अभिप्रेत है;

(ड) ''राज्य सरकार'' से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है,

(ढ) ''मुख्य सचिव'' से मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन अभिप्रेत है;

(ण) ''प्रशासकीय विभाग'' से सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग उत्तराखण्ड शासन अभिप्रेत है;

(त) ''वित्त विभाग'' से वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन अभिप्रेत है;

(थ) '' वर्ष'' से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है;

(द) '' पुस्तक हस्तान्तरण'' यह वित्तीय संव्यवहारों के ऐसे प्ररूपों पर लागू होता है, जिसमें नगद अथवा गैर–नगद लेखाओं की प्राप्ति जारी किया जाना सम्मिलित नहीं है। ऐसे संव्यवहार सामान्यतया सरकार के दायित्व एवं आस्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो परिनिर्धारण के लिए लेखाओं को प्रस्तुत करते हैं अथवा किसी अन्य कारणों के लिए किन्तु वे शुद्धियों अथवा संशोधनों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, जो कि लेखे में पूर्व में ही लिए जा चुके हैं और सम्बन्धित नगद, कर्मचारीवृन्द अथवा पुस्तकों के अन्तरण से सम्बन्धित है;

(ध) ''सरकारी सेवक'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो कि सरकारी सेवा में हो तथा इसके अन्तर्गत राज्य सरकार के अधीन सेवा करने वाले वे व्यक्ति आते हैं, जिनकी सेवा शर्तो को राज्यपाल द्वारा 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 के अधीन विहित किया जाता है;

(न) ''कार्यालयाध्यक्ष'' से कार्यालय का वरिष्ठतम राजत्रित अधिकारी अभिप्रेत है;

(प) '' विभागाध्यक्ष'' से एक ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत है, जो कि राज्य सरकार द्वारा उद्घोषित किया गया हो,

(फ) "आडिटी" से ऐसा विभाग, कार्यालय अभिप्रेत है, जिसका आडिट हो रहा है जैसे– विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष, आहरण एवं वितरण अधिकारी (स्थानीय निकाय, सहकारिता,पंचायत लेखा परीक्षा को सम्मिलित करते हुए)।

निदेशक और अन्य लेखा परीक्षा अधिकारियों की नियुक्ति

3. (1) लेखा परीक्षा कार्य को सम्पादित करने के लिए एक संगठनात्क अन्य लेखा परीक्षा ढांचा बनाया जायेगा।

(2) राज्य सरकार, ऐसे निर्बन्धनों और शर्तों पर, जो उसके द्वारा अवधारित किये जायं। निदेशक और प्रत्येक ऐसे अधिकारी को और उनके कर्मचारियों की नियुक्ति और सेवा की शर्तों के सम्बन्ध में उपबन्ध कर सकती है।

(3) नियुक्त व्यक्ति ऐसे क्षेत्र के भीतर, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी विनिर्दिष्ट करें, ऐसे शक्तियों का प्रयोग और एसे कर्तव्यों का पालन करेंगे, जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उनको प्रदत्त किये जायं।

(4) राज्य सरकार, किसी अधिकारी को, जो प्रथम श्रेणी अधिकारी से निम्न न हो, को निदेशक की शक्तियां प्रदत्त की जा सकती हैं।

(5) विभिन्न विभागों में आंतरिक लेखा परीक्षा को वित्त विभाग में केन्द्रीयकृत (सेन्ट्रलाइज्ड) किया जायेगा तथा विशिष्ट विभागों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा जायेगा।

(6) राज्य सरकार किसी अर्ह कम्पनी, फर्म तथा संस्था/सोसाईटी से आउट सोर्सिंग के माध्यम से आडिट करा सकती है।

`लेखा, जिसकी परीक्षा की जायेगी और लेखा परीक्षा फीस का भुगतान का निर्धारण

4. (1) राज्य सरकार समय–समय पर अधिसूचना द्वारा आडिटी को विनिर्दिष्ट कर सकती है जिनकी लेखा परीक्षा की जानी है।

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी होने पर, ऐसे आडिटी के लेखा की परीक्षा पूर्णतया, ऐसी किसी अधिनियमित में, जिसके द्वारा या अधीन आडिटी का गठन किया गया है या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम में किसी बात के होते हुए भी अधिनियम के द्वारा या अधीन उपबन्धित रीति से की जायेगी।

(3) आडिटी, जिसके लेखा की परीक्षा की जानी हो, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर आवश्यकतानुसार निर्धारित दर पर लेखा परीक्षा फीस का भुगतान करेगा।

(4) राज्य सरकार समय–समय पर आवश्यकतानुसार मानव दिवस हेतु शुल्क का निर्धारण/पुनर्निर्धारण कर सकती है। सम्पादित लेखा परीक्षा के लिये शुल्क की गणना लेखा परीक्षा हेतु निर्धारित मानव दिवस के आधार पर होगी।

लेखा परीक्षा के लिए अभिलेखों को प्रस्तुत किया जाना

5. (1) आडिटी, जिसकी लेखा की परीक्षा की जानी है, लेखा के लिये सभी लेखा विवरणियां, रजिस्टर, पत्रावलियां और पत्राचार या ऐसे किसी अन्य दस्तावेज का, जिनकी आडिट दल द्वारा मांग की जाय, प्रस्तुत करेगा या करायेगा।

अभिलेख प्रस्तुत करने और व्यक्तियों से उपस्थित होने के लिए आडिट दल की अपेक्षा करने की शक्ति

6. (1) इस अधिनियम के अधीन किसी लेखा–परीक्षा के प्रयोजनार्थ कोई आडिट दल–

(क) आडिटी से ऐसे वाउचर विवरणी, लेखा, रजिस्टर, पत्रावली और पत्राचार या लेखा के सम्बन्ध में कोई अन्य दस्तावेज, जिसे आडिट दल प्रभारी उचित समझे, ऐसे स्थान पर जहाँ आडिट दल निदेश दे निर्दिष्ट युक्तियुक्त के समय के भीतर प्रस्तुत करने या कराने की लिखित रूप में अपेक्षा कर सकता है;

(ख) लिखित रूप में–

(एक) आडिटी के किसी ऐसे वैतनिक सेवक से जो ऐसे वाउचर विवरणी, लेखा, रजिस्टर, पत्रावली और पत्राचार या अन्य दस्तावेज के लिये उत्तरदायी हो या जिसकी अभिरक्षा या नियंत्रण में वे हों, स्वयं उपस्थित होने की अपेक्षा कर सकता है; या

(दो) ऐसे व्यक्ति से, जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आडिटी के अधीन किसी कार्य में कोई अंश या हित हो या ऐसे किसी व्यक्ति से, जिसकी उपस्थिति किसी कठिनाई या परिस्थिति को स्पष्ट करने के लिये आवश्यक हो, स्वयं या किसी प्राधिकृति अभिकर्ता के माध्यम से, आदेश में निदेशित स्थान पर उसके समक्ष उपस्थित होने और किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिये अपेक्षा कर सकता है,

(ग) आडिटी के अधीन अधिकारी से ऐसे स्थान पर, जहां लेखे की परीक्षा की जा रही हो या ऐसे अन्य स्थान पर जहां आडिट दल निदेश दे, उससे मिलने और उस बिन्दु को जिस पर स्पष्टीकरण अपेक्षित हो, लिखित रूप में विनिर्दिष्ट करने की अपेक्षा कर सकता है।

(2) लेखापरीक्षक, उपधारा (1) के अधीन भेजे गये किसी अधियाचन या सूचना में युक्ति–युक्त अवधि निर्धारित कर सकता है, जो कम से कम तीन दिन की होगी, जिसके भीतर उक्त अधियाचन या सूचना का पालन किया जायेगा।

(3) लेखापरीक्षक, आडिटी को जिसके लेखा की परीक्षा की जानी हो, जिस दिनांक से लेखा परीक्षा प्रारम्भ करने का उसका प्रस्ताव हो, उसकी सूचना कम से कम दो सप्ताह पूर्व लिखित रूप में देगाः

परन्तु यह कि लेखापरीक्षक अल्पावधि की सूचना देकर या कोई सूचना दिये बिना, उसके कारणों को अभिलिखित करते हुए लेखा–परीक्षा राज्य सरकार या निदेशक के निदेश पर प्रारम्भ कर सकता है।

(4) लेखापरीक्षक को इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों का पालन करने के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्राधिकार होगाः–

(क) आडिटी के लेखों का निरीक्षण करना, जिसके अन्तर्गत परिसम्पत्तियों यथा नकद, मूल्यवान वस्तुओं और स्टोर का भौतिक सत्यापन भी है;

(ख) यह अपेक्षा करना कि ऐसा कोई रजिस्टर, बही, पत्रादि और और अन्य दस्तावेज, जो ऐसे संव्यवहार से जिसकी लेखा परीक्षा करना उसकी सीमा में आता हो, सम्बन्धित या उसका आधार पर हो या अन्यथा उससे सुसंगत हो, ऐसे स्थान पर और ऐसे दिनांक को जिसे वह अपने निरीक्षण के लिये नियत करे, भेज दिये जायं;

(ग) कार्यालय के प्रभारी व्यक्ति से ऐसे प्रश्न पूछना या ऐसी टिप्पणी करना, जिसे वह आवश्यक समझे और ऐसी सूचना मांगना, जिसे वह लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिये या किसी लेखा या रिपोर्ट को, जिसे तैयार करना उसका कर्तव्य है, तैयार करने के लिये अपेक्षा करें।

धारा 6 के अधीन अधियाचन की अवज्ञा करने के लिए शास्ति

7. धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) या खण्ड (ग) या उपधारा (4) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन विधिपूर्वक की गयी किसी अभिलेखों की अधियाचना की जान बूझकर उपेक्षा करता या उसका पालन करने से इन्कार

करने को संदिग्ध सत्यनिष्ठा का प्रकरण माना जायेगा एवं जो व्यक्ति विविपूर्वक की गयी किसी अभिलेखों की अधियाचना की जान बूझकर उपेक्षा करता या उसका पालन करने से इन्कार करता है, के विरूद्ध लागू सेवाशर्तों के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

लेखा परीक्षा रिपोर्ट सम्बद्ध आडिटी और कुछ अन्य अधिकारियों और निकायों को भेजी जायेगी

8. (1) लेखा परीक्षा कार्य सम्पन्न होने के पश्चात् यथासाध्य शीघ्रता से लेखा परीक्षा का परिणाम ऐसे प्रपत्र में और ऐसा विवरण देते हुए, जैसा विहित किया जाय, निम्नलिखित दो भागों, में आडिटी के प्रमुख अधिकारी को संसूचित किया जायेगा; अर्थात्–

(क) सामान्य और महत्वपूर्ण विषयों पर जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, उन का विवेचन करने वाली लेखा परीक्षा और निरीक्षण टिप्पणी; और

(ख) आपत्तियों का विवरण पत्र, जिसमें गौण और प्राविधिक अनियमितताओं से सम्बन्धित अशोधित आपत्तियाँ दी गई हों।

(2) लेखा परीक्षा और निरीक्षण टिप्पणी की प्रतियां ऐसे अधिकारियों और प्राधिकारियों को भी भेजी जायेंगी, जिन्हें निदेशक द्वारा आवश्यक समझा जाये।

(3) निदेशक लेखा की एक संहत लेखा परीक्षा रिपोर्ट तैयार करेगा या करायेगा और उसे राज्य विधान सभा के समक्ष रखे जाने के लिए राज्य सरकार को प्रतिवर्ष भेजेगा।

धारा 8 के अधीन निदेशक की रिपोर्ट के पश्चात् अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया

9. (1) धारा 8 के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने पर, आडिटी की प्रमुख अधिकारी तत्काल कार्यवाही करेगा और उसमें उठाये गये प्रत्येक बिन्दु पर एक मास के भीतर उत्तर लेखबद्ध करेगा, जिसमें उस बिन्दु पर की गयी या किये जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही दर्शित होगी। तत्पश्चात् लेखा परीक्षा रिपोर्ट और प्रमुख अधिकारी की टिप्पणी पर समयबद्ध आडिटी की विशेष बैठक में, जो लेखा परीक्षा रिपोर्ट की प्राप्ति के दिनांक से तीन मास के भीतर होगी, विचार किया जायेगा और विनिश्चय किया जायेगा।

(2) आडिटी को यह देखना होगा कि लेखा परीक्षा टिप्पणी और आपत्तियों के विवरण–पत्र में इंगित त्रुटियों और अनियमिताओं का निवारण या निपटारा शीघ्रता और सम्यक् रूप से तत्परता से कर दिया जायेगा।

(3) आडिटी की टिप्पणी और प्रत्येक बिन्दु पर आडिटी के विनिश्चय सहित लेखा परीक्षा रिपोर्ट की टिप्पणीयुक्त प्रति निदेशक या उसके द्वारा नियुक्त अधिकारी को उपधारा (1) में निर्दिष्ट बैठक होने के एक मास के भीतर भेजी जायेगी। टिप्पणीयुक्त प्रति में प्रत्येक पैरा के सामने अनियमितताओं के लिये उत्तरदायी पदधारी का नाम और उनके विरूद्ध की गई या की जाने के लिये प्रस्तावित कार्यवाही दर्शित की जायेगी। लेखा परीक्षा आपत्तियों के निस्तारण के सम्बन्ध में आगे पत्र–व्यवहार सीधे आडिटी और निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के बीच किया जायेगा।

(4) आडिटी की टिप्पणी और आडिटी के विनिश्चय सहित लेखा परीक्षा की टिप्पणीयुक्त प्रति प्राप्त होने पर, निदेशक या उसके द्वारा निमित्त प्राधिकृत अधिकारी रिपोर्ट में चर्चित समस्त या किन्हीं विषयों के सम्बन्ध में–

(क) आडिटी द्वारा की गयी कार्यवाही को स्वीकार कर सकता है और आपत्तियों का निपटारा कर सकता है; या

(ख) निदेश दे सकता है कि विषय पर अतिरिक्त अन्वेषण अगली लेखा परीक्षा में या किसी और पूर्वतर दिनांक को किया जाय; या

(ग) यह धारण कर सकता है कि रिपोर्ट में इंगित त्रुटियों या अनियमितताओं या उनमें से किसी का निराकरण या प्रतिकार नहीं किया गया है।

(5) (क) यदि यह धारणा है कि रिपोर्ट में इंगित आडिटी के लेखा की किसी त्रुटि या अनियमितता का निराकरण या प्रतिकार युक्तियुक्त समय के भीतर नहीं किया गया है तो निदेशक ऐसे मामले को विहित प्राधिकारी और राज्य सरकार की जानकारी में विशेष रूप से लायेगा और राज्य सरकार तत्समय प्रवृत्त किसी विविध के अधीन रहते हुए, किसी ऐसी कार्यवाही का निदेश दे सकती है, जो आवश्यक समझी जाये।

(ख) लेखा परीक्षा कार्य में समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से मुख्य सचिव, प्रशासकीय विभाग तथा विभागाध्यक्ष के स्तर पर आडिटी कमेटी का गठन किया जायेगा। गठित आडिटी कमेटी की नियमित रूप से बैठक आयोजित करके प्राप्त आडिटी रिपोर्टों का रिव्यू किया जायेगा। सरकारी धन के दुरूपयोग, गबन, जालसाजी, जैसे महत्वपूर्ण मामलों पर विशेष ध्यान दिया जायेगा, ताकि दोषी व्यक्तियों को समय से दण्डित किया जा सके।

(ग) यदि कमेटी के समाने आडिट रिपोर्ट में सरकारी धन के दुरूपयोग (Misappropriation) के प्रकरण सामने आते हैं, तो उनकी छानबीन कर उत्तरदायित्व निर्धारित करने की कार्यवाही की जायेगी। राजकीय धन की क्षति की तुरन्त वसूली किये जाने के प्रयास किये जायेंगे। कृत कार्यवाही से वित्त विभाग को अवगत कराया जायेगा।

(घ) आडिटी लेखा–परीक्षा आपत्तियों और निरीक्षण प्रतिवेदनों के निपटारे में हुई प्रगति पर सतर्क होकर नजर रखेंगे और प्रशासकीय विभाग द्वारा उस सम्बन्ध में, जो भी सूचना मांगी गई हो उसे तुरन्त भेजेंगे।

(ङ) विभाग में विचारधीन सभी लेखा परीक्षा आपत्तियों और निरीक्षण प्रतिवेदनों के निस्तारण के लिये विभागीय अधिकारियों की नियत कालिक बैठकें भी बुलाई जायेंगी और उनके परिणाम से प्रशासकीय विभाग को अवगत कराया जायेगा।

निदेशक द्वारा अवैध भुगतान या घोर उपेक्षा या दुराचरण के कारण हुई हानि पर अधिभार लगाया जाना

10. (1) यदि सम्बद्ध व्यक्ति को कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् निदेशक का समाधान हो जाय कि आडिटी के किसी धन या सम्पत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोग अपचारी व्यक्ति के दुराचरण या उसकी ओर से घोर उपेक्षा के कारण हुआ है, या यह कि उक्त व्यक्ति ऐसा पक्ष है जो अवैध भुगतान करता है या ऐसा भुगतान करने के लिये प्राधिकृत करता है, तो निदेशक, तत्समय प्रयुक्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, लिखित आदेश द्वारा, ऐसे व्यक्ति को यह निदेश दे सकता है कि वह आडिटी को विनिर्दिष्ट दिनांक के पूर्व ऐसी धनराशि, जो आडिटी को उसके धन या सम्पत्ति की ऐसी हानि,दुर्व्यय या दुरूपयोग की प्रतिपूर्ति करने के लिये न्याय संगत और साम्यपूर्ण पायी जाय, उस पर ब्याज सहित भुगतान करें:

परन्तु यह कि किसी आडिटी के किसी प्रमुख अधिकारी, सदस्य या सेवक के विरूद्ध इस अधिनियम के अधीन अधिभार का कोई आदेश ऐसे धन या सम्पत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोग होने के दिनांक से दस वर्ष की समाप्ति के पश्चात् या उसके आडिटी के प्रमुख अधिकारी, सदस्य या सेवक न रह जाने के दिनांक से छः वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, जो भी पश्चातवर्ती हो, नहीं दिया जायेगाः

परन्तु यह और कि यदि धन या सम्पत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोग किसी आडिटी या उसकी किन्हीं समितियों या उप समितियों के परिणामस्वरूप हुआ हो तो वसूल की जाने वाली हानि की धनराशि को समस्त सदस्यों में, जिसके अन्तर्गत ऐसे पदाधिकारी भी हैं, जिनके सम्बन्ध में आडिटी या उसकी समितियों या उपसतितियों के कार्यतृत्त में यह सूचना हो कि उन्होंने ऐसे संकल्प के सम्बन्ध में मत दिया था या वे तटस्थ रहे, बराबर–बराबर बांट दिया जायेगाः

परन्तु यह भी कि अतिक्रमित स्थानीय/सहकारिता/पंचायत लेखा परीक्षा की स्थिति में यदि धन या सम्पत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोग प्रशासक या प्रभारी अधिकारी की जो सरकारी सेवक हो, किसी कार्यवाही के कारण हुआ हो तो मामले की सूचना निदेशक द्वारा राज्य सरकार को आवश्यक कार्यवाही के लिये दी जायेगी :

परन्तु यह और भी कि किसी मृत अपचारी व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधि का दायित्व मृतक की सम्पत्ति की उस सीमा तक होगा, जो ऐसे विधिक प्रतिनिधि को प्राप्त हुई हो।

(2) यदि वह व्यक्ति, जिसे उपधारा (1) के अधीन विनिश्चय की एक प्रति दी जाय, उसे लेने से इन्कार करे तो यह समझा जायेगा कि उसने उस दिन प्राप्त कर लिया है, जिस दिन उसने प्रति लेने से इन्कार किया था।

(3) यदि वह अन्तिम आदेश के समय उपलब्ध न हो तो उसके प्रवर्ती भाग सहित उसका सारांश उसके अन्तिम ज्ञात पते पर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा उसे भेज दिया जायेगा या उसके अन्तिम ज्ञात निवास स्थान पर चिपका दिया जायेगा और उस परिक्षेत्र में डुग–डगी पिटवाकर उसकी उद्घोषणा की जायगी और इससे यह उपधारणा की जायगी कि उसे सम्यक् रूप से तामील किया गया है।

अधिभार के आदेश के विरूद्ध अपील

11. (1) धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन दिये गये किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश की प्राप्ति के दिनांक से तीस दिन के भीतर राज्य सरकार को विहित रीति से अपील कर सकता है।

(2) राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत की गयी अपील की सुनवाई करते समय ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगी, जैसी विहित की जाय।

(3) राज्य सरकार द्वारा उक्त अपील पर दिया गया आदेश अन्तिम होगा।

भू–राजस्व के बकाये के रूप में प्रभार की वसूली

12. यथास्थिति, धारा 10 या धारा11 के अधीन अधिभार के आदेश में उल्लिखित धनराशि का भुगतान अधिभारित व्यक्ति द्वारा आदेश के दिनांक से साठ दिन के भीतर किया जायगा और यदि उसका भुगतान नहीं किया जाय तो उसे निदेशक के आवेदन–पत्र पर कलेक्टर द्वारा भू–राजस्व के बकाये के रूप में वसूल किया जायगा और आडिटी की निधि में विहित रीति से जमा किया जायगा।

प्रभार आदि का भुगतान

13. धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन आडिट दल द्वारा या धारा 6 की उपधारा (4) के अधीन निदेशक द्वारा की गयी किसी अधियाचन के अनुपालन में आडिटी द्वारा किया गया समस्त व्यय उस आडिटी की निधि से देय होगा।

निदेशक, आडिट दल, आदि लोक सेवक होंगे

14. निदेशक और उसके अधीन कार्यरत और इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन शक्ति का प्रयोग करने वाले या प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी और आडिट दल भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक होंगे।

वाद पर रोक

15. जैसा कि इस अधिनियम में उपबन्धित है उसके सिवाय, इस अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकारी द्वारा विधिक रूप से दिये गये किसी आदेश पर आपत्ति करने के लिये किसी सिविल न्यायलय में कोई वाद नहीं लाया जायेगा या अन्य कार्यवाही नहीं की जायगी।

सद्भाव के किये गये कार्यों का संरक्षण

16. राज्य सरकार, निदेशक या किसी अन्य अधिकारी, आडिट दल या निदेशक के अधीनस्थ कर्मचारी के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य कार्यवाही ऐसे कार्य के लिये नहीं की जा सकेगी, जो इस अधिनियम के अधनी सद्भाव से किया गया हो या किये जाने के लिये तात्पर्यित हो।

लेखापरीक्षक द्वारा अभिलेखों का

17. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये धारा 3 के अधीन नियुक्त अधिकारियों में से ऐसे व्यक्तियों को आडिट अधिकारी, आडिट प्रभारी नियुक्त कर सकती है, जिन्हें वह उचित समझे और उनकी अधिकारिता की स्थानीय सीमायें परिनिश्चित कर सकती है

(2) इस निमित्त बनाये गये किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए कोई अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमा के भीतर–

(क) निदेशक, लेखापरीक्षक या लेखा परीक्षा की कार्यवाहियों के प्रभारी किसी अन्य व्यक्ति के आदेश से उचित समय पर सर्वदा किसी परिसर या स्थान में सरकार या किसी स्थानीय या अन्य लोक प्राधिकारी की सेवा में कार्यरत व्यक्तियों की ऐसी सहायता से यदि कोई हो, जिसे वह उचित समझे और जो निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा अनुमोदित हो, लेखा परीक्षा की कार्यवाहियों के सम्बन्ध में किसी रजिस्टर या अभिलेख या पत्रादि की जांच करने के प्रयोजनार्थ प्रवेश कर सकता है और निरीक्षण के उसे प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है;

(ख) सूचना प्राप्त करने के लिये उसी स्थल पर किसी व्यक्ति से प्रतिप्रश्न कर सकता है;

(ग) अपने वरिष्ठ अधिकारियों के निदेशों को कार्यान्वित करने के लिये ऐसे अभिलेख या पत्रादि को, जो आवश्यक हो, अभिग्रहीत कर सकता है या उनकी प्रतियाँ ले सकता हैं या उन पर हस्ताक्षर कर सकता है;

(घ) ऐसी अन्य शक्यिों का प्रयोग कर सकता है, जो विहित की जांय।

विविध

18. इस अधिनियम के अधीन किसी परीक्षा या लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिये निदेशक या आडिट दल और अपील के प्रयोजन के लिये अपील प्राधिकारी को वही शक्तियां होंगी, जो निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1908) के अधीन किसी वाद पर विचार करते समय किसी सिविल न्यायलय में निहित हैं, अर्थात–

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और उसे उपस्थित होने के लिये बाध्य करना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) कमीशन जारी करना;

(ग) शपथ–पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(घ) दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना;

(ङ) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाय।

अपवाद

19. (1) अधिकार से सम्बन्धित किसी ऐसी कार्यवाही का, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन विचारधीन हो, निस्तारण और किसी ऐसी कार्यवाही में पारित आदेश का प्रवर्तन, उस विधि के अनुसार इस प्रकार किया जायेगा मानों इस अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त नहीं थे।

(2) जैसा कि उपधारा (1) में उपबन्धित है उसके सिवाय, ऐसे किसी आडिटी के सम्बन्ध में जिस पर यह अधिनियम लागू होता है, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् अधिभार से सम्बन्धित सभी कार्यवाहियां, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस अधिनियम अधीन सम्पन्न और निस्तारित की जायेंगी।

नियम बनाने की शक्ति

20. (1) राज्य सरकार, लेखा सम्परीक्षा कार्य में सम्बद्ध स्टाफ को लेखा सम्परीक्षा की अवधारणा के आवश्यक और उसके संचालन के व्यवहारिक ज्ञान से सज्जित कर सरकार में आन्तरिक लेखा सम्परीक्षा के उन्नयन और सुद्ढ़ करने के उद्देश्य से इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम/मैनुअल बना सकती है।

(2) विशेष रूप से और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिये व्यवस्था की जा सकती है; अर्थात्–

(क) ऐसे आडिटी को, जिसके लेखा की परीक्षा निदेशक द्वारा की जानी है, अधिसूचित करने का कार्य विनियमित करना;

(ख) अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन लेखा परीक्षा के लिये आडिटी द्वारा भुगतान की जाने वाली लेखा परीक्षा फीस की दर और उसके भुगतान और उसकी वसूली की रीति;

(ग) प्रपत्र, जिसमें और रीति, जिसके अनुसार लेखा सम्परीक्षा के लिये प्रस्तुत किया जायगा;

(घ) आडिट दल की शक्तियां और कर्तव्य और लेखा परीक्षा करने के लिये अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और वह समय जब और स्थान जहाँ पर ऐसी लेखा परीक्षा की जायगी;

(ड) निदेशक की शक्तियां और कर्तव्य;

(च) अधिभार के सम्बन्ध में जांच, अपली और वसूली;

(छ) आडिट दल द्वारा अभिलेखों का निरीक्षण।

निरसन और अपवाद 21. (1) उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम, 1984 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 वर्ष 1984) (उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानों यह सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त था।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–21 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ, उत्तराखण्ड लेखा परीक्षा विधेयक, 2012 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–21 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2012

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तराखण्ड आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2012 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2012 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तराखण्ड आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2012

(उत्तराखण्ड विधेयक संख्या............ वर्ष 2012)

संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (अधिनियम संख्या 04 वर्ष 1010) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) में अग्रेतर संधोधन करने के लिए–

विधेयक

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 2012 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 40 का संशोधन 2. संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (अधिनियम संख्या 04 वर्ष 1910) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 40 की उपधारा–(1) में पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तः स्थापित कर दिया जाएगा:–

"परन्तु यह और कि उत्तर प्रदेश आबकारी विकृत स्प्रिट का आयात, निर्यात, परिवहन और उसे कब्जे में रखना (23 वां संशोधन) नियमावली, 1999 के साथ प्रकाशित अधिसूचना संख्या 129/13–204, दिनांक 13 मार्च, 1931 को दिनांक 01 अप्रैल, 2007 से सदैव लागू समझा जायेगा।"

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग माने जायं?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तराखण्ड आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2012 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2012 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड वन विकास निगम (प्रथम संशोधन) विधेयक,2012

संसदीय कार्य मंत्री (इन्दिरा हृदयेश)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तराखण्ड वन विकास निगम (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2012 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड वन विकास निगम (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2012 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तराखण्ड वन विकास निगम (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2012

(उत्तराखण्ड विधेयक संख्या..............वर्ष 2012)

उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम, 1974 का उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए–

विधेयक

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड वन विकास निगम (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 2012 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 23 का संशोधन

2. उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 04, वर्ष 1975) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 23 की उपधारा (2), (3) और (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएँ रख दी जायेंगी, अर्थात्:–

"(2) निगम के लेखे प्रतिवर्ष भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति को ऐसी लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में उसके द्वारा उपगत कोई व्यय निगम द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को देय होगा।

(3) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक अथवा निगम के लेखों की लेखा परीक्षा करने के सम्बन्ध में उसके द्वारा प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति को ऐसी लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में वही अधिकार, विशेषाधिरकार तथा प्राधिकार होंगे, जो किसी सगंठन के लेखों की लेखा की लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के होतें है और विशिष्टतया, उसे बहियाँ, लेखें सम्बद्ध वाउचर तथा अन्य दस्तावेजों और पत्रादि प्रस्तुत किये जाने की मांग करने तथा निगम के कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(4) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक अथवा उसका द्वारा एतदर्थ प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा यथाप्रमाणित निगम के लेखे तद्विषयक लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित राज्य सरकार को प्रतिवर्ष भेजे जायेंगे।''

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तराखण्ड वन विकास निगम (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2012 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड वन विकास निगम (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2012 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2012

*सहकारिता मंत्री (श्री यशपाल आर्य)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2012 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2012 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड/2 से 3, ~~खण्ड–1~~, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2012

(उत्तराखण्ड विधेयक संख्या.........वर्ष 2012)

उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम, 2003 (अधिनियम संख्या 05, वर्ष 2003) का अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए–

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विधेयक

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस विधेयक का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2012 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 29 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम, 2003 की धारा 29 की उपधारा (7) के परन्तुक सहित में शब्द ''एक वर्ष'' के स्थान पर शब्द ''एक वर्ष छः माह'' रख दिये जायेंगे।

निरसन एवं अपवाद

3. (1) उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 2012 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–3, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री यशपाल आर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2012 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2012 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–53 के अन्तर्गत माननीय सदस्य श्री महावीर सिंह रांगड़, श्री मदन कौशिक, श्री अजय टम्टा तथा श्री राजकुमार की कुल 04 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से माननीय सदस्य श्री महावीर सिंह रांगड़ की सूचना, जो कि ऋषिकेश में गंगातट के किनारे गंगा स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की गंगा में डूबने से लगातार हो रही मृत्यु के सम्बन्ध में है, को नियम–53 के अन्तर्गत वक्तव्य के लिए तथा माननीय सदस्य श्री मदन कौशिक की सूचना, जो कि जनपद हरिद्वार शहर में बरसात के समय बी0एच0ई0एल0 के अन्दर से पानी आने के कारण हजारों परिवारों के प्रभावित होने के सम्बन्ध में है, को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रहा हूँ। शेष सूचनायें अस्वीकार हुई।

अब हम उठते हैं, कल पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए।

(इसके उपरान्त सदन की कार्यवाही अपराह्न 3 बजकर 20 मिनट पर अगले दिन 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

देहरादून,
दिनांकः 30 मई, 2012

डी0 पी0 गैरोला,
प्रमुख सचिव,
विधान सभा, उत्तराखण्ड।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, फेज VI, VII, VIII में प्राप्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों की सैद्धानितक स्वीक1तिक का विवरण

क0सं0	प्रस्ताव का नाम	जनपद	क्षेत्रफल हे0
	फेज–VI		
1	रामपुर से ततलगांव मोटर मार्ग	अल्मोड़ा	2.01
2	विनोवाधार से उछोला मोटर मार्ग	रूद्रप्रयाग	3.69
	फेज–VII		
3	छाजा–फटक्वाल डुंगरा मोटर मार्ग	अल्मोड़ा	9.79
4	धौलाछीना से कनचूला मोटर मार्ग	अल्मोड़ा	2.953
5	तडगताल–खाला मोटर मार्ग	अल्मोड़ा	2.592
6	बछेर से तैराखनसाल मोटर मार्ग	चमोली	0.225
7	अमोडी से छतकोट मोटर मार्ग	चम्पावत	3.87
8	सोनजाला से नरसिंह तल्ला मोटर मार्ग	नैनीताल	0.09275
9	सांगू से सारी मोटर मार्ग	रूद्रप्रयाग	18.22
10	कोटी से चांजी (डखवाण) मोटर मार्ग	टिहरी	1.36
11	गोना से कोट मोटर मार्ग	टिहरी	1.84
12	हलियाजॉब से गराऊँ मोटर मार्ग	पिथौरागढ़	2.94
13	छेडा से आगर मोटर मार्ग	पिथौरागढ़	1.75
14	चण्डाक (पिथौरागढ़–खातीगांव मार्ग कि.मी.8) से पाभई–चमाली मोटर मार्ग	पिथौरागढ़	13.65
15	मनिनोली से भामा मोटर मार्ग (गंगोलीहाट– पवाधार–चारपाल मो0 मा0 कि.मी. 12) (घराडी)	पिथौरागढ़	6.037
16	भाटीगांव से क्वैराली मोटर मार्ग	पिथौरागढ़	1.25

क0सं0	प्रस्ताव का नाम	जनपद	क्षेत्रफल हे0
17	चौबाटी से बोराबूंगा मोटर मार्ग	पिथौरागढ़	4.48
18	सानदेव से ननपापौ मोटर मार्ग	पिथौरागढ़	2.45
19	पौटी–मोल्डा से खान्सी मोटर मार्ग	उत्तरकाशी	1.715
20	नाकुरी से सिंगोठ मोटर मार्ग	उत्तरकाशी	0.621
21	चकरगांव–बड़कोट कनसेरा मोटर मार्ग	उत्तरकाशी	4.795
22	धरासू चिन्यालीसोड जोगथ मोटर मार्ग बनकोट मोटर मार्ग (UT 13-17)	उत्तरकाशी	1.399
23	बडेथी बनचौरा बद्रीगाड मोटर मार्ग से जोखणी मोटर मार्ग	उत्तरकाशी	1.407
24	सिल्क्यारा बनगांव चोपडा सरोट मोटर मार्ग से बनाडी मोटर मार्ग	उत्तरकाशी	1.491
	फेज–VIII		
25	सूपईखान से बामान तिलारी मोटर मार्ग	अल्मोड़ा	4.915
26	चिचौन से ऐरारीबिष्ट मोटर मार्ग	अल्मोड़ा	0.607
27	कोटद्वार से हरिद्वार मोटर मार्ग	कोटद्वार	4.68
28	भेलुन्ता से हलेथ मोटर मार्ग	टिहरी	2.003

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 05 विधान सभा/306–29–06–2013–000 (कम्प्यूटर/रीजियो)